बिन पानी सब सून...

अकाल और उसके बाद

कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर, छिपकलियों की गश्त
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।

दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद
धुंआ उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद
चमक उठी घर भर की आंखे, कई दिनों के बाद
कौए ने खजुलाई पांखे कई दिनों के बाद।

– बाबा नागार्जुन

जनपहल
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश आपदा
निवारण मंच

actionaid

बिन पानी सब सून...

सूखा या अकाल इस समय के सबसे खतरनाक, डरावने और चिंता पैदा करने वाले शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ यानि मौत, आत्महत्या, पलायान, बंजर धरती, बूंद-बूंद पानी को तरसता समाज, अकाल मौत, मरते पशु-पक्षी, घटता जल स्तर आदि। आज सरकार के दबाब में भारतीय मौसम विभाग सूखे शब्द को ही टा-टा करना चाहता है और इसकी जगह कम वर्षा, औसत वर्षा और ज्यादा वर्षा की शब्दावली उपयोग करना चाहता है और ये सिर्फ शब्दों का परिवर्तन नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति है। एक बहस राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम परिवर्तन की भी इस समय चल रही है, बुंदेलखंड का सूखा इस नजर से भी देखा जा रहा है, जो कुछ सीमा तक सही भी हो सकता। एल नीनो या ली नीलो प्रभाव सिर्फ मानसून के पानी के कम-ज्यादा आंकड़ों का खेल है।

सूखा के संदर्भ में असल सवाल अफरात गिरने वाले पानी को रोक पाने का है। शायद पानी औसत गिरता भी हो पर परंपरागत स्रोत के मिटने, खत्म होने से या संग्रहण के नये तरीके न होने से बेकार बह जाता है। बुंदेलखंड में आज पानी 3 मीटर नीचे खिसक गया। एक आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में 4 हजार अरब घन मीटर पानी उपलब्ध होता है पर इसका ज्यादा हिस्सा सीधे समुद्र में बह जाता है। इस बहते हुए पानी को रोकने का आज का अवैज्ञानिक तथा अप्राकृतिक तरीका है - नदी जोड़ परियोजना, जिसका देश में पहला प्रयोग भी बुंदेलखंड में होने वाला है।

असल में सूखे को समझने के लिए ऋतु चक्र, क्रापिंग पेटर्न, हरित क्रांति के दावे, नगद फसल, इसकी लागत, कर्ज ओर आत्महत्या करते किसानों के तंत्र, सवाल और सोच को भी समझना होगा और इसमें भी सबसे ज्यादा खेत मजदूर के हालात को समझना होगा। स्वतंत्रता के शुरूआती तीन चार दशक हमारी किसानी की आशा को जगाते थे क्योंकि खेती, जमीन, पानी, सिंचाई के सरकारी नियम, कानून योजना में मीडिया से लेकर समाज के हर हिस्से में गांव/समाज के संदर्भ में हस्तक्षेप होता था। पर आज का भयावह सूखा भी खबर या चर्चा नहीं बनता। किसी ने सही कहा है कि सिर्फ जमीन का ही पानी नहीं सूखा बल्कि हमारी ''आंख का पानी'' भी सूख गया है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पी.सांईनाथ कहते हैं कि आज गांव, समाज या खेती पर मीडिया का 0 प्रतिशत हिस्सा ही आता है। कितना आश्चर्य है कि लाखों लोगों को पलायन, हजारों किसानों की आत्महत्या, ढेरों कुपोषण से मौत या बर्बाद होती हजारों, लाखों हेक्टेयर जमीन भी मीडिया की संवेदना को झकझोर नहीं सकी।

इसलिये सूखे को सिर्फ पानी या मानसून के रूखे से हीं नहीं समझा जा सकता, बल्कि सत्ता, प्रकृति और विज्ञान के मिले-जुले विभिन्न आयामों को हमें समझना ही होगा। हमने इन्हीं विभिन्न पैमानों के आधार पर मध्यप्रदेश और बुंदेलखंड के सूखे को समझने की कोशिश की है। हमारा यह अध्ययन जहां सूखे के मुहाने पर जाकर लोगों से मिलकर समझने का प्रयास है, वहीं सरकारी (राज्य केन्द्र) जानकारी, मीडिया तथा विशेषज्ञों की रपटने भी इसमें सहायता की। उच्चतम न्यायालय की अनुशंसाएं भी हमारी इस रपट का आधार बनी।

इस काम में हमारी अपनी टीम, विभिन्न किसान संगठन, जनसंगठन, जाने-माने विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार मित्र, तकनीकी जानकार सभी का सहयोग मिला। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।

हमारी चिंता है कि सदी का यह भयानक सूखा कहीं अकाल में परिवर्तित न हो जाये, हमें चालीस, पचास के दशक के बंगाल के अकाल (भूखा है बंगाल) को याद करके कंपकंपी छूटती है। हम और हमारे साथी मध्यप्रदेश में ऐसी आहट को पहचान रहे हैं। पर हम सूखे को हरा-भरा करने की और बढ़ेंगे/बढ़ना चाहते हैं, अकाल की ओर नहीं। यही हमारी कोशिश है, विश्वास है और तैयारी.....

इसी आशा के साथ क्रांतिकारी अभिवादन सहित -

5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस

सारिका सिन्हा, योगेश दीवान

1

बुंदेलखंड और अकाल का परिप्रेक्ष्य

सूखा और अकाल आज बुंदेलखंड की पहचान बन गई है। लेकिन बुंदेलखंड हमेशा से ऐसा नहीं था। यहां गांव–गांव में पानी से लबालब तालाब थे। बेतवा, केन, धसान और ब्योरमा नदी का प्रवाह तथा बारहमासी नाले यहां के जीवन और आजीविका को संचालित करते थे। यहां की जमीन खाद्यान, फलों और पपीते की खेतों के लिए उपयोगी रही है। जंगल में महुआ, हर्र, बेहड़ा आंवला, आम, बैर, करोंदा, चारौली जैसे कीमती फल देने वाले पेड़ मौजूद रहे हैं। कीमती लकड़ी के सागौन व सरई जैसे पेड़ आज भी यहां दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र लोहा, सोना, चाँदी, शीशा, हीरा, पन्ना आदि से समृद्ध रहा है। यहां चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विंध्य पर्वत पर पाई जाने वाली चट्टानों के नाम उसके आसपास के स्थान के नामों से प्रसिद्ध है जैसे – माण्डेर का चूना का पत्थर, गन्नौर गढ़ की चीपें, पन्ना का चूना का पत्थर, विजयगढ़ की चीपें इत्यादि। बुंदेलखंड पान के उत्पादन के लिए भी प्राचीन काल से विख्यात है। यहां हर साल करीब पांच से छह करोड़ रूपए के देशावरी पान का निर्यात होता है। उत्तरप्रदेश का ललितपुर और मध्यप्रदेश का छत्तरपुर पान के उत्पादन के लिए जाना जाता था।

बुंदेलखंड का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 700000 वर्ग कि.मी. है। जो कि उसे एक सांस्तिक इकाई के रुप् में उकेरती है। इसमें मध्यप्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। किन्तु ऐतिहासिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद आज यह सूखाग्रस्त है। यहां खेती के लिए पानी नहीं है, पेट भरने के लिए अनाज नहीं, प्यास बुझाने को पानी नहीं है और हाथों को रोजगार नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह सवाल महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है कि बुंदेलखंड की यह दशा कैसे हुई? हमारी कौन सी नीतियां और कौन सी कार्य प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है?

बताया जाता है कि बुंदेलखंड में 12000 से अधिक तालाब हुआ करते थे। आज इनमे से सिर्फ 1300 तालाब ही शेष रह गए हैं, बाकी तालाब या तो भूमाफियाओं के चंगुल में आकर रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील कर दिए गए या किसी के फ़ार्महाउस में बदल दिए गए। कई तालाबों के आसपास की जमीन पर कब्जा कर उन्हें बाँध दिया गया है, जिस कारण बारिश का पानी तालाबों में इकट्ठा होने के बजाय इधर उधर बहकर नष्ट हो जाता हैं। दरअसल सूख गए सतही पानी को वापस संजोने की संजीदा कोशिश की जगह इंजीनियरों की रुचि हमेशा ही भूमिगत् पानी खींचने वाली मशीनों में ज्यादा रही है। मनरेगा के तालाबों में पानी आने के रास्ते नहीं हैं। नहरों में पहले ही धूल उड़ रही है। इससे बुंदेलखंड में

सिंचाई और पेयजल का नया संकट खड़ा गया है। बुंदेलखंड में औसतन 70000 लाख टन घन मीटर पानी हर साल वर्षा द्वारा उपलब्ध होता है। किन्तु इसका अधिकांश भाग तेज प्रवाह के साथ निकल जाता है। केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के भौमजल सांख्यकी 1985 के अनुसार बुंदेलखंड में 131021 लाख घन मीटर जल प्रतिवर्ष उपलब्ध रहता है। इस विशाल भंडार में केवल 14355 लाख घन मीटर जल का ही उपयोग किया जाता है। शेष 116666 लाख घन मीटर पानी प्रतिवर्ष अछूता ही रह जाता है। यानी पूरी क्षमता का 10.95 प्रतिशत ही उपयोग में लिया जाता है।

सतही जल का संचयन ही यहां की खेती, मवेशी व समृद्धि का आधार रहा है। जल की समृद्धि का आधार होते हैं– नदी, तालाब, मेड़बंदियां और जंगल। चंदेलों ने इन्हीं को समृद्ध कर यहां की समृद्धि कायम रखी।[1] ध्यान देने की बात है कि जहां नदी, तालाब व जंगल पर हमला सबसे ज्यादा हुआ, वहीं आत्महत्याएं हुई – दमोह, टीकमगढ़, बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट। करीब 70 हजार लोगों के अकेले इसी इलाके से पलायन का आंकड़ा है। यह बुंदेलखण्ड का वह हिस्सा है, जहां के जंगल आज पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके हैं। खनन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तालाबों पर बड़े पैमाने पर कब्जे हैं। भूजल स्तर में प्रतिवर्ष 5 से 50 सेमी. तक की गिरावट आ रही है। समझने की बात है कि अंग्रेजों के आने के बाद का पहला बड़ा अकाल यहां क्यों आया? यूं बुंदेलखण्ड में अकाल का जिक्र मोहम्मद बिन तुगलक के भारत प्रवेश के वक्त भी मिलता है। किंतु इतिहास प्रमाण है कि बुंदेलखण्ड में अकाल का पहला सबसे बुरा व लंबा दौर तब आया, जब 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जंगलों का अधिग्रहण किया। सन् 1865 से 1889 तक का अकाल और फिर पूरी 20वीं सदी बुंदेलखंड के हिस्से में अकाल ही अकाल लाई। समझना होगा कि 950 मिमी. औसत की वार्षिक वर्षा कम नहीं होती। राजस्थान व गुजरात में बुंदेलखंड से काफी कम बारिश के कई इलाके हैं, लेकिन कम पानी के बावजूद उन्होंने अपने मवेशी, जंगल व चारागाहों को मरने नहीं दिया।

बुंदेलखंड में पिछले कुछ सालों में बरसात बहुत कम हुई। किन्तु जो भी बरिश हुई, उसके पानी को सहेजने के लिए तालाब नहीं है। पुराने तालाब मिट्टी से भरने लगे और नए तालाब ठीक से बने नहीं। जो तालाब बन रहे हैं उनमें कई जलग्रहण क्षेत्र से बाहर है, यानी उनमें पानी नहीं रूकता। इस तरह तालाब के जरिये पानी को सहेजने की परंपरा खत्म होती चली गई। इसका असर भूमिगत् जल के रिर्चाज पर पड़ा और मवेशियों तथा लोगों के उपयोग के लिए जरूरी पानी गायब होता चला गया। पानी के संकट के साथ ही खेती की लागत में बढ़ोतरी ने किसानों की कमर तोड़ दी। नए बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रचार–प्रसार का असर यहां भी हुआ और लोगों ने कर्ज लेकर खेती शुरू की। अवर्षा, पाला और इल्लियों के कारण फसल उपज नहीं दे पाई, किन्तु कर्ज पर ब्याज दिन पर दिन बढ़ता गया। इस दशा में कई किसानों ने हताश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाए और कई सीमान्त किसान और मजदूर पलायन को विवश हो गए।[2]

बुंदेलखंड पिछले 21 वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। यहां तालाब, कुएं तथा हैण्डपम्प साल के दस महीने सूखे रहते हैं। भूमिगत् जल अत्यन्त नीचे जाकर भी गिरावट से थमने का नाम नहीं ले रहा। नदियां बरसात के दिनों में भी अपने बांधों को क्षमता के अनुसार भर नहीं पा रही। खेती अनुपजाऊ हो चली है। अस्सी के दशक के अंत में यहां से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लगे और उन्नीसवीं सदी पूरी होते–होते यहां का बड़ा और मंझौला किसान कर्जदार हो गया था। गरीबी और कुपोषण के चलते बच्चों की मौतें तथा कर्जदाताओं का कर्ज अदा न कर पाने के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की खबरें सन 2001 से आने लगी थी। सन 2006–7 में भूमिगत् जल के नीचे जाने से गांवों तथा शहरों में पेयजल का संकट गहरा गया।[3] ये सभी समस्या आज न सिर्फ कायम है, बल्कि ज्यादा गंभीर रूप लेने लगी है।

बुन्देलखंड में पिछले लगभग एक दशक में सबसे अच्छी वर्षा 2012 और 2013 में ही हुई। बाकी के साल अल्प वर्षा के रहे। 2013 का साल अति वर्षा का रहा, और 2012–13 में भी आँधी–तूफान और ओलावृष्टि ने फसलों का काफी

[1]अनुपम मिश्र – आज भी खरे हैं तालाब।
[2]http://hindi.indiawaterportal.org
[3]http://bundelkhand.in

नुकसान किया। यानि कह सकते हैं कि बुन्देलखंड में किसानी के लिये पिछला दशक अच्छा नहीं रहा है। 10–12 सालों से अल्प वर्षा और कभी–कभार अति वर्षा और ओला वृष्टि की मार झेलते–झेलते बुंदेलखंड के किसान और किसानी दोनों टूट गये हैं।

आज बुंदेलखंड में किसान और खेतीहर मजदूर सबसे बुरे दौर में है। आये दिन सूखी फसलों को देखकर सदमे से किसानों की मौत हो रही है। इस साल के सूखे में पूरे बुंदेलखंड के गांवों में कई खेत खाली छोड़ दिए गए। कुछ इलाकों में जो थोड़ी बहुत फसल हो भी गयी थी, ओलावृष्टि ने उसे नष्ट कर दिया है। चर्चा में यह बात सामने आई कि सर्वेक्षित क्षेत्र में मुश्किल से 5 से 20 प्रतिशत किसानों की फसल खेत से घर पहुँच पाई है। कुदरत की मार से जूझ रहे किसानों के साथ ही बेजुबान जानवरों की तो शामत आ गयी है। सूखी धरती पर घास का तिनका–तिनका सूख जाने की वजह से चारे का भयानक अकाल है। लगातार अवर्षा के कारण धरती सूखी और पथरीली हो गयी है। ऐसे में कटीली घासें ही उग पा रही हैं। अच्छी घासों का उगना असम्भव हो चला है। भूख से त्रस्त गायें और बकरियाँ कटीली घासों को भी खा रही हैं। इस तरह की घास उनकी सेहत को गम्भीर नुकसान पहुँचा रही है और पशुओं में लकवा जैसी बीमारी फैलने की आम शिकायत आ रही है।

यहां लोगों के लिए खाने से ज्यादा गंभीर पानी का संकट हो चुका है। ज्यादातर गांवों के ट्यूबवेल और हैण्डपम्प सूख चुके हैं। कुएँ बहुत पहले ही जवाब दे चुके हैं। भूजल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने कहा है कि बुंदेलखंड में भूजल स्तर रोजाना 3–6 इंच गिर रहा है। कहीं–कहीं तो जल स्तर 400 फ़ीट से भी नीचे पहुंच चुका है।

यह स्पष्ट है कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सर्वाधिक संपन्न रही है। उसमें अकाल और सूखे का कोई स्थान नहीं था। किन्तु प्राकृतिक संसाधनों, जल स्रोतों तथा असमान वितरण ने इस क्षेत्र को अकाल की स्थिति में लाकर कर खड़ा कर दिया है। सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के बाद भी यह अकाल से मुक्त होता दिखाई दे रहा है। अकाल की इस परिस्थिति में राहत के कुछ तात्कालिक प्रयास तो करने ही होंगे, किन्तु इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीख हासिल कर दूरगामी प्रयास भी आवश्यक है, तभी बुदेलखण्ड को अकाल और सूखे से मुक्त किया जा सकेगा।

जो जीवन की
धूल बांटकर बड़ा हुआ है
तूफानों से लड़ा
और फिर खड़ा हुआ है
जिसने सोने को खोदा
लोहा मोड़ा है
वह रवि के रथ का घोड़ा है
वह जन
मारे नहीं मरेगा
नहीं मरेगा।

– केदारनाथ अग्रवाल

2

इस अध्ययन के बारे में

सूखे का बुंदेलखंड के जीवन पर गहरा असर दिखाई देता है। खेत सूखे पड़े हैं, गांवों में पीने का पानी नहीं है और रोजगार की तलाश में लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। इस तरह बुंदेलखंड के लोगों के जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। आखिर यह सवाल सभी के मन में है कि बुंदेलखंड को सूखे से मुक्ति मिलेगी या नहीं, और यदि मिलेगी तो कब व कैसे? इसी सवाल का उत्तर तलाशने के लिए यह जरूरी है कि बुंदेलखंड में सूखे स्थिति को परखा जाए और उसे सामने लाकर समाज के विभिन्न तबकों, सरकार, प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और संस्था संगठनों के साथ मिलकर उपाय के रास्ते तलाशे जाएं। इसी जरूरत को देखते हुए प्रस्तुत अध्ययन की अवधारणा सामने आई।

उपरोक्त संदर्भ में यह देखने की आवश्यकता है कि बुंदेलखंड में सूखे और अकाल से लोगों की आजीविका किस तरह प्रभावित हुई है? क्योंकि आजीविका का सवाल लोगों के पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ा है। अत: प्रस्तुत अध्ययन में आजीविका के सवाल को उसके विभिन्न आयामों के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया, जिसमें खेती, रोजगार की उपलब्धता, पलायन शामिल है। इसके साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 100 से बढ़ाकर 150 दिनों की रोजगार की गारंटी वाले मनरेगा कानून के क्रियान्वयन की स्थिति को परखने का प्रयास भी प्रस्तुत अध्ययन में किया गया। बुंदेलखंड के गांवों मे पेयजल की स्थिति और खाद्य सुरक्षा के आकलन को भी इसमें शामिल किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूखे की परिस्थिति ने समाज के वंचित तबकों और महिलाओं को किस तरह प्रभावित किया? साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि राज्य द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गए और जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने का प्रयास किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन को निम्नलिखित उद्देश्यों पर केन्द्रित किया गया:-

- ❑ बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति का मानव विकास के प्रमुख आयामों पर पड़ रहे प्रभाव का आकलन करना।

- सूखे के कारण बुंदेलखंड के लोगों पर पड़ रहे असर को जानना। इसमें ग्रामीणों, समाज के वंचित तबकों और महिलाओं के जीवन पर प्रभाव को समझना।
- सूखे की स्थिति में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उसके परिणामों को परखना।
- सूखे से निपटने के उपाय तलाशना।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु मुख्य रूप से केन्द्रित समूह चर्चा और अवलोकन की विधि अपनाई गई। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए चुने गए गांवों में अध्ययन दल के साथियों ने सूखे और उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर केन्द्रित सवालों पर ग्रामवासियों से चर्चा की। इस दौरान खेती–किसानी, आजीविका के प्रमुख आयाम, पेयजल, पशुओं की स्थिति, रोजगार की उपलब्धता, पलायन, खाद्य सुरक्षा पर केन्द्रित 25 सवालों पर चर्चा की गई।

केन्द्रित समूह चर्चा के लिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा गांव का भ्रमण कर वहां मौजूदा स्थिति का अवलोकन किया गया और इसी दौरान लोगों को गांव के किसी एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें महिलाओं की उपस्थिति का विशेष प्रयास किया गया। समुदाय के इकठ्ठे होने के बाद सूखे पर केन्द्रित सवालों पर बातचीत शुरू की जाती थी। चर्चा को संचालित करते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले और अध्ययन दल द्वारा सभी की बातों को ध्यान से सुना जाए और लिखा जाए। चर्चा के बाद गांव में उपलब्ध जनप्रतिनिधियों जैसे पंच–सरपंच से भी चर्चा की गई, साथ ही विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्कूल में मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी, पीडीएस दुकान तक पहुंचकर वहां उपलब्ध सर्विस प्रोवाईडर्स से भी चर्चा की गई। इस तरह अध्ययन क्षेत्र के 66 गांवों में कुल 66 केन्द्रित समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ खास परिस्थितियों और घटनाओं को भी गहराई से समझकर केस अध्ययन भी किया गया।

इस तरह प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण समुदाय की आवाज को प्रमुखता से रखा गया और उसका विश्लेषण कर स्थिति की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन में मध्यप्रदेश में शामिल बुंदेलखंड के जिलों को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना एवं दतिया जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और अकाल व सूखे का सबसे ज्यादा असर इन जिलों में दिखाई देता है। इन छह जिलों में से तीन जिलों – टीकमगढ़, सागर और छतरपुर को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया।

अध्ययन क्षेत्र के जिलों एवं गांवों का विवरण

जिला	विकास खण्डों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	गांवो की संख्या	अध्ययन क्षेत्र के गांवों की कुल आबादी				
टीकमगढ़	02	19	20	10299	4613	15584	4926	35422
सागर	01	12	14	928	402	1020	400	2750
छतरपुर	03	25	32	20354	2724	17827	12665	53570
कुल	06	**56**	**66**	**31581**	**7739**	**34431**	**17991**	**91742**

इस तरह प्रस्तुत बुंदेलखंड क्षेत्र के तीन जिलों के 6 विकास खण्डों की 56 ग्राम पंचायतों के 66 गांवों में यह अध्ययन किया गया। इन गांवों में सभी वर्गो की कुल मिलाकर आबादी 91742 है। यहां की मूलभूत एवं प्राथमिक सूचनाएं एवं जानकारियां प्राप्त करने के साथ ही मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों की रिपोर्ट्स, सूखा एवं अकाल के संदर्भ में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधानों की रिपोर्ट तथा मीडिया रिपोर्ट्स का द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया।

3

सूखा और आजीविका संकट

बुंदेलखंड में सूखा और आजीविका संकट आपस में जुड़े हुए हैं। सूखे के कारण यहां आजीविका संकट पैदा हो गया है, वहीं आजीविका संकट के कारण सूखे की स्थिति कायम है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सूखे का एक बड़ा कारण अवर्षा या प्राकृतिक प्रकोप है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले कई सालों से यही स्थिति कायम है। ''यहां में पिछले 30 सालों में 18 बार सूखा पड़ चुका है। इसके पीछे मुख्य कारण क्लाईमेट चेंज है, जिसके कारण उत्पन्न हुई तबाही ने यहां के 21 मिलियन गरीब–वंचित लोगों को प्रभावित किया है।[4]'' केन्द्र सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 में यहां औसत बारिश के मुकाबले 44.3 प्रतिशत बारिश हुई है, जिससे 90 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई।

मध्यप्रदेश में शामिल बुंदेलखंड क्षेत्र के पांच जिलों पर नजर डालें तो वर्ष 2015 में औसत से सबसे कम वर्षा दमोह जिले में हुई। यहां औसत बारिश 1246 मिमी. की तुलना में सिर्फ 495 मि.मी. बारिश ही हुई। टीकमगढ़ जिले की स्थिति भी कुछ ही तरह की है, जहां औसत बारिश के तुलना में 45 प्रतिशत बारिश हुई। इनके साथ ही दतिया जिले को छोड़कर किसी भी जिले में औसत से आधी बारिश ही बीते मानसून में हुई।

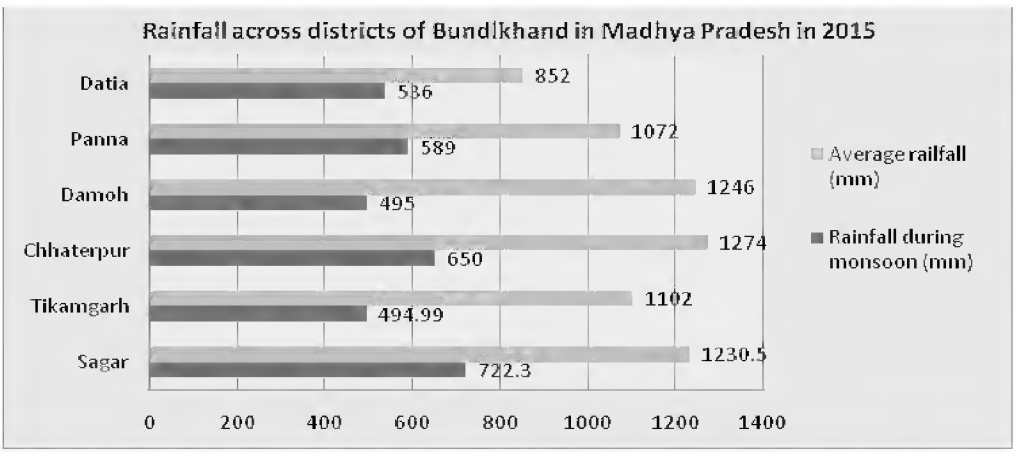

[4]A study by the National Institute of Disaster management 2014.

बारिश के उपरोक्त आंकड़ों के साथ ही यह समझने की भी जरूरत है कि अकाल का एक मात्र कारण अवर्षा नहीं हैं, बल्कि संकट को रोकने में नाकाम रहने वाली व्यवस्था भी अकाल का एक कारक है। बुंदेलखंड में अकाल और सूखा राहत के लिए लागू योजनाओं और पहले से चल रही विकास योजनाओं के बावजूद अकाल की स्थिति उत्पन्न होना और उसका लगातार कायम रहना इस बात का पुख्ता सबूत है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि मनरेगा जैसी योजना भी प्रावधान के बावजूद पूरे 100 दिनों का रोजगार नहीं दे पा रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की 2014 की रिपार्ट के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार का संकट इतना गंभीर है कि यहां हर रोज 6000 लोग पलायन कर रहे हैं।

खेती का घटता रकबा

बुंदेलखंड की खेती पर सिर्फ इस वर्ष के सूखे का असर ही नहीं है, बल्कि यह पिछले कई सालों से पड़ रहे सूखे और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के अभाव के कारण खेती सिकुड़ती जा रही का असर/प्रभाव है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 में 19607592 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी। जिसमें 5878311 हेक्टेयर भूमि सिचिंत थी। यानि कुल खेती योग्य जमीन का 30 प्रतिशत हिस्सा ही सिंचित था। बुन्देलखंड की इसी बदहाली को देखकर तब की केन्द्र सरकार ने पैकेज के तहत भारी–भरकम राशि आबंटित की। दो चरणों में खर्च के बाद अनुमान था कि इससे 296140 हेक्टेयर जमीन को सींचा जाएगा। पैकेज के तहत खेतों में कुओं एवं 146 छेटी सिंचाई परियोजनाओं को तैयार किया गया। जिन पर अरबों रुपए खर्च हो गए। माना तो यही जा रहा था कि इससे किसानों के दुख दर्द समाप्त हो जाएँगे। सूखे के समय यह सिंचाई योजनाएँ वरदान साबित होंगी। हकीकत कुछ ओर ही नजर आ रही है।

सरकारी दावों के अनुसार सिंचाई का रकबा बढ़ा है। दूसरी ओर खेती का रकबा कम होता जा रहा है। यह जमीनी सच सरकार के आँकड़े ही गवाही दे रहे हैं। हासिल आँकड़ों के अनुसार 2015–16 में रबी फसल का कुल लक्ष्य 1604 हजार हेक्टेयर का था पर 1041.52 हेक्टेयर में ही बुआई हो सकी। सीधा अर्थ कि लक्ष्य से 35 प्रतिशत कम बुआई का आँकड़ा रहा। इसी तरह 2013–14 में 1664.40 लक्ष्य था तो 1633.01 हजार हेक्टेयर में ही बुआई हुई।[5] वर्ष 2014–15 में भी कुछ यही हाल रहे जब 1657 हजार हेक्टेयर के बदले मात्र 1483.19 हजार हेक्टेयर में किसानों ने फसल की बुआई की थी। बुन्देलखण्ड के सागर सम्भाग के पांच जिलों छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ और दमोह में अमुमन गेहूँ की फसल किसानों की पहली पसन्द होती है। अब गेहूँ के उत्पादन और बुआई के आँकड़ों पर नजर डाली जाये तो यह चिन्ता से कम नहीं है।

वर्ष 2011–12 में 695.80 हजार हेक्टेयर में गेहूँ की बुआई हुई थीं, वहीं 2012–13 में 701.40, 2013–14 में 746.20, 2014–15 में 673.56 एवं 2015–16 में मात्र 347.70 हजार हेक्टेयर में ही गेहूँ बोया गया। आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि स्वयं अन्नदाता के पास ही रोटी खाने के लाले पड़ते जा रहे हैं। यह इस ओर भी इंगित करता है कि खेती का रकबा दिनों दिन कम होता जा रहा है।

कृषि विभाग सागर से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार सागर सम्भाग के पाँचों जिलों में सागर में 578.38, दमोह में 315.49, पन्ना में 245.36, टीकमगढ़ में 256.71 और छतरपुर में 407.39 हजार हेक्टेयर भूमि शुद्ध काश्त का रकबा है। कृषि संगणना 2000–01 के अनुसार सागर में 255098, दमोह में 159018, पन्ना में 157045, टीकमगढ़ में 173159 एवं छतरपुर में किसानों की संख्या 235237 है। आँकड़ों के अनुसार काश्त रकबे और बुआई के रकबे में अन्य फसलों का 20 प्रतिशत हेक्टेयर और जोड़ भी दिया जाये तो अधिकांश भूमि पर खेती न होना इस बात का संकेत है कि किसान अब खेती से तंग होता जा रहा है। किसान की बेरुखी के पीछे कई कारण है। आज किसान को लागत के हिसाब से फसलों की कीमतें नहीं मिल पा रही। इस कारण वह कर्ज में डूबता जा रहा है। खेत की जुताई, बुआई से लेकर खाद–बीज की जुगाड़ में किसान टूट जाता है।

[5]http://hindi.indiawaterportal.org/

कितनी क्षति और कितनी पूर्ति?

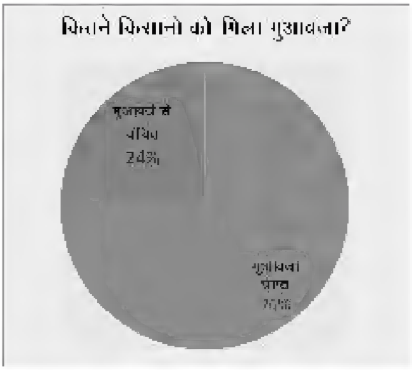

राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार अक्टूबर 2015 में मध्यप्रदेश में 4.4 मिलियन हैक्टेयर की 13846 करोड रूपए की खरीफ फसल का नुकसान हुआ। केन्द्रीय दल के मध्यप्रदेश दौरे के बाद दिसम्बर 2015 में मध्यप्रदेश के लिए नेशनल डिजास्टर रीलिफ फण्ड (NDRF) से 2033 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए। इसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुंदलेखंड दौरे के दौरान 15000 रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस संदर्भ में यह देखने की जरूरत है कि क्या बुंदेलखण्ड क्षेत्र में वितरित मुआवजा राशि सरकार की घोषणा के अनुरूप प्राप्त हुई है?

फसलों की क्षति का विवरण		
फसल	क्षति का विवरण	
	50 प्रतिशत के कम क्षति	50 से 100 प्रतात तक क्षति
खरीफ गांवों प्रतात	17%	83%
रबी गांवों प्रतात	36%	64%

प्रदेश में सूखा घोषित होने के बाद यहां सरकार द्वारा मुआवजा हेतु सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। किन्तु ज्यादातर गांवों में खरीफ की फसलों के मुआवजे का वितरण फरवरी 2016 में किया गया। मध्यप्रदेश में शामिल बुंदेलखंड के जिलों में खरीफ की फसल 76482 एकड़ जमीन पर बोई गई थी, जबकि रबी की फसल बुआई 7 से 10 हजार एकड़ में की गई थी, जो पानी के अभाव में सूख गई। बुंदेलखंड में दतिया को छोड़कर बाकी जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हो गई।

सूखे के कारण फसल नष्ट होने से किसानों पर कर्ज का भार बढ़ गया। कर्ज लेकर बोई गई फसल जब कोई उपज नहीं दे पाई तो पुराने कर्ज पर त ा` ब्याज बढ़ता गया, वहीं यह सवाल भी खड़ा हो गया कि अगले साल खेती के लिए पैसा कहां से आएगा। बुंदेलखण्ड में स्वराज अभियान द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बुंदेलखंड में 62 प्रतिशत किसानों पर बैंकों का कर्ज है, वहीं 72 प्रतिशत किसानों पर साहूकारों का कर्ज है। इस साहूकारी कर्ज का बोझ करीब 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (5 रूपए सैकड़ा प्रतिमाह) की दर से बढ़ता जा रहा है। अकाल की स्थिति और सरकारी राहत एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन से पता चलता है कि छत्तरपुर, सागर एवं टीकमगढ़ जिलों में खरीफ और रबी दोनों की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई। अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार सर्वेक्षित गांवों में की कुल 22317 एकड़ कृषि भूमि में से 18313 एकड़ में खरीफ और 7519 एकड़ में रबी की फसल बोई गई थीं। यानी कुल कृषि रकबा में से खरीफ में 18 प्रतिशत भूमि पर खेती नहीं गई, वहीं रबी के मौसम में कुल रकबा से 66 प्रतिशत पर खेती नहीं हुई। स्पष्ट है कि रबी के मौसम में उन्हीं खेतों में खेती संभव है, जहां सिंचाई की सुविधा है।

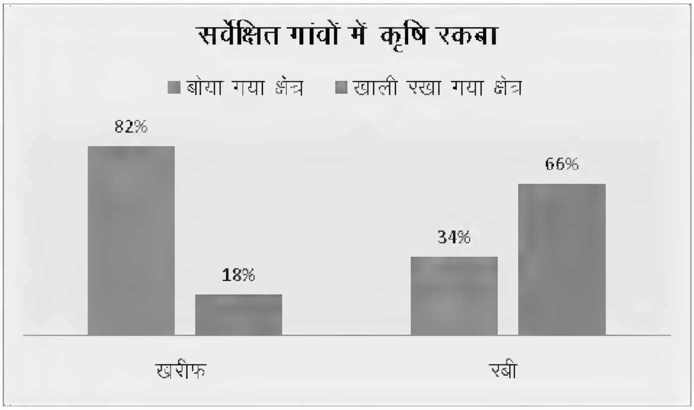

ढाई बीघा जमीन का

वर्ष 2015 में उपरोक्त रकबे में हुई खेती अवर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुई और ज्यादातर गांवो में 50 से 100 प्रतिशत तक फसल बर्बाद होने के तथ्य सामने आते हैं। प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार 17 प्रतिशत गांवो में 50 प्रतिशत तक

खरीफ की फसल बर्बाद हुई, जबकि 32 प्रतिशत गांवो में 50 से 75 प्रतिशत खरीफ फसल बर्बाद हो गई। 17 प्रतिशत गांवों में 76 से 90 प्रतिशत फसल खराब हो गई। जबकि सबसे ज्यादा 34 प्रतिशत गांवो में पूरी की पूरी यानी 100 प्रतिशत फसल बर्बाद हो हुई।

फसलों की क्षति के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा घोषित राहत राशि संबंधित किसानों को प्राप्त हुई या नहीं और जिन्हें प्राप्त हुई है, वह वास्तव में सरकार द्वारा घोषित मानकों और किसानों को हुई क्षति के अनुसार है या नहीं?इस संदर्भ में सर्वेक्षित गांवों में चर्चा करने पर हम पाते हैं कि 24 प्रतिशत किसानों को अब तक कोई मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई। इन गांवों में कुल 5252 किसानों में से 4012 किसानों को मुआवजा प्राप्त हुआ, जबकि 1240 किसान मुआवजे से वंचित रहे। इन किसानों द्वारा मुआवजे की मांग हेतु तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक आवेदन प्रस्तुत किए गए तथा मुख्यमंत्री हेल्प लाईन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। किसानों का कहना है कि इस सबके बावजूद वे अब तक मुआवजे से वंचित ही है।

किसानों को प्राप्त मुआवजे की राशि पर चर्चा करने पर हम पाते हैं कि उन्हें 1250 रूपए प्रति हैक्टेयर (500 रूपए प्रति एकड़) से लेकर 2500 रूपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा प्राप्त हुआ, जो सरकारी घोषणा से बेहद कम है। सर्वे के दौरान 16 प्रतिशत किसान ऐसे पाए गए, जिन्हें सिर्फ 500 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा प्राप्त हुआ, जबकि सर्वाधिक 53 प्रतिशत किसानों को 501 से 1000 रूपए मुआवजा मिला। 24 प्रतिशत को 1001 से 2000 रूपए और 7 प्रतिशत को 2001 से 2500 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। इस संदर्भ में हम सिर्फ 7 प्रतिशत किसानों को ही सरकारी घोषणा से थोड़ा नजदीक पाते हैं, बाकी 93 प्रतिशत किसानों को सरकारी घोषणा से कम मुआवजा प्राप्त हुआ।

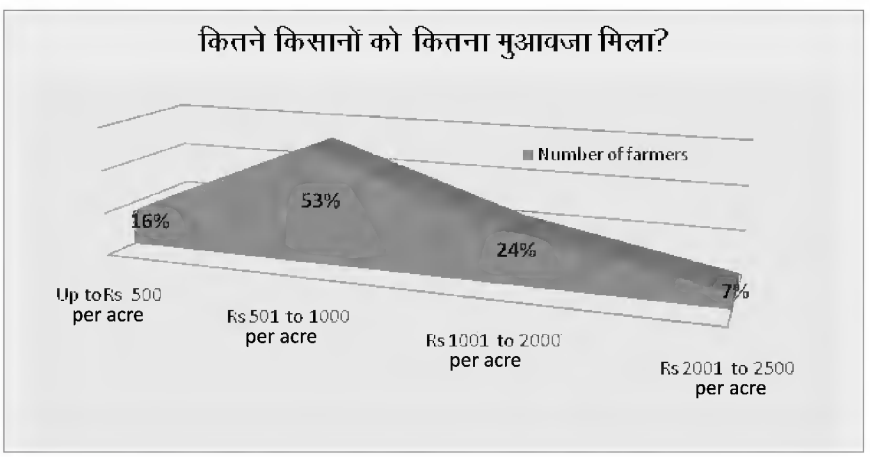

साढ़े सात सौ मुआवजा

सूखाग्रस्त किसानों के लिए मुआवजे की सरकारी घोषणा सुनने में चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न लगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। यह बात टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी ब्लाक के पुछीकरगुवां गांव के लालाराम की कहानी से समझ सकते हैं।

करीब चार हजार की जनसंख्या वाले इस गांव में दलित परिवार के छह भाई-बहनों - हेमराज, मोतीलाल, कपूरे, लालाराम, रमेश और शांति बाई अहिरवार के पास संयुक्त रूप से ढाई बीघा जमीन है। खरीफ की फसल के तौर पर उन्होंने उड़द की फसल लगाई थी जो कि कम बारिश होने के कारण पूरी तरह सूख गई। उन्हें बुआई और बीज का खर्च भी नहीं मिल सका। यही हाल गांव के ज्यादातर किसानों का हुआ। पानी न होने के कारण रबी की फसल की बुआई भी न हो सकी।

सरकार द्वारा घोषित मुआवजा देने के लिए किसानों की खरीफ की फसल के नुकसान का सर्वे पटवारियों किया गया। बताया जाता है सर्वे सिर्फ खानापूर्ति के लिए किया गया। पटवारी ने न तो खेतों में जाकर फसल देखी और न ही किसी कोई जाकनारी ली। जब मुआवजा मिला तो लालाराम और उसके दो भाइयों मोतीलाल और रमेश को सिर्फ ढाई-ढाई सौ रूपए ही मिले। अन्य दो भाई और बहन को तो यह भी प्राप्त नही हुआ। इस तरह ढाई बीघा जमीन का 750 रूपए ही मुआवजा मिला। जबकि उन्हें अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए 6000 रूपए जमा करवाने पड़े।

मुआवजा से वंचित बटाईदार

कई खेतीहर परिवार अपनी आजीविका के लिए बटाईदारी पर निर्भर है। बुंदेलखंड में अकाल और सूखे का ज्यादा असर अन्य किसानों की तरह ही बंटाईदारों पर भी पड़ा। किन्तु पटवारी रिकार्ड में बंटाईदारी प्रथा दर्ज नहीं होने और मुआवजे के अंतर्गत बंटाईदारों के नाम पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं होने से कई बंटाईदार किसान मुआवजे से वंचित रहे। अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार 10 प्रतिशत बंटाईदारों को उनके खेत मालिक ने मुआवजे की राशि दी। 2 प्रतिशत बंटाईदारों को खेत मालिक द्वारा उन्हें प्राप्त मुआवजे का आधा हिस्सा दिया गया। जबकि 88 प्रतिशत बंटाईदारों को कोई उन्हें हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिला। स्पष्ट है कि बंटाईदारों को खेती करने की लागत के लिए ऊंची ब्याज दर पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। क्योंकि जमीन उनके नाम पर नहीं होने से वे बैंक द्वारा उन्हें ऋण नहीं दिया जाता। इस दशा में बंटाईदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। सूखे और अकाल में फसल नष्ट होने तथा उसका मुआवजा नहीं मिलने से बुंदेलखण्ड के बटाईदारों के सामने आजीविका, रोजगार और भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है।

किसान आत्महत्या का डरावना सच

टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना के ग्राम खाकरौन निवासी 26 वर्षीय लक्ष्मन पाल कर्ज न चुका पाने के कारण इस तरह विचलित हुआ कि 20 मई को उसने फाँसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई गोविन्ददास का कहना है कि लक्ष्मण करीब डेढ़ लाख रुपए के कर्ज में दबा हुआ था। पिता भागीरथ की बीमारी और पारिवारिक कार्यों के लिये यह कर्ज लिया था। उम्मीदें डेढ़ एकड़ फसल पर थी। जो सूखे की भेंट चढ़गई। साहूकारों का कर्ज दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस कारण वह दिल्ली मजदूरी करने चला गया था। पिता की तबियत बिगड़ने पर वह उसे देखने आया था।

बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी इस बार मजदूरी की माँग में कमी आई है। इस कारण लक्ष्मण वहाँ भी भटकता ही रहा। परिवार का भरण–पोषण, पिता की बीमारी और साहूकारों के कर्ज के दबाव में इस तरह लक्ष्मण पाल घिरा की उसने आत्महत्या कर ली। यह वो किसान था जो मजबूर होकर मजदूर बना पर मजदूरी में भी कर्ज ना चुकाने के हालातों ने उसे तोड़ दिया। यही हाल बुन्देलखण्ड के किसानों के है।

दो हफ्ता पूर्व ही 7 मई को सागर जिले के सुरखी थाना के गाँव समनापुर में पारिवारिक तंगी और भूख से बिलखते बच्चों को देखकर महेश चढार नामक व्यक्ति ने हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया था। जिसे बचा लिया गया था। महेश के अनुसार उसके पास न तो राशनकार्ड है और न ही जॉब कार्ड। घर में बच्चों को खिलाने के लिये राशन नहीं। जब चारों बच्चो ने खाना माँगा तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय रास्ता नहीं था।

अप्रैल माह में भी बुन्देलखण्ड के छतरपुर जिले में कर्ज से दबे दो किसानो ने आत्महत्या कर ली थी। 8 अप्रैल को छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना के ग्राम पटना में 10 बीघा जमीन के मालिक 58 वर्षीय बाबूलाल ने खेत से लौट कर घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसी तरह 14 अप्रैल को बडामलहरा थाना के ग्राम चिरोदां में कर्ज से परेशान किसान साधना फाँसी पर झूल गई थी। साधना के पति इंद्रपाल पर साहूकारों का कर्ज था। इस कर्ज ने साधना को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला पूर्व से चला आ रहा है।

सूखे से बेहाल पशु

बुंदेलखंड में सूखे से पशुओं का जीवन भी मुश्किल हो गया है और लोग उन्हें छोड़ने के लिए विवश है। प्रस्तुत अध्ययन में सामने आए तथ्यों से यह बात साफतौर पर सामने आती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग पशुओं की दो मलभूत जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है– एक पीने के पानी और दूसरी चारा। यदि हम सर्वेक्षित गांवों में पीने के पानी की स्थिति का आकलन करें तो पाते हैं कि 56 प्रतिशत गांवों में पशुओं के पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। इन गांवों के लोग पशुओं को खुला छोड़चुके हैं। वे कहीं भी जाए, चारा–पानी मिले तो ठीक अन्यथा प्यास और भूख से प्राण त्याग दें। जब खुद के लिए ही पानी नहीं है तो पशुओं के लिए कहां से लाएं।

पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता की स्थिति		
जिला	गांवों की संख्या	
	पानी उपलब्ध है	पानी नहीं हैं
छतरपुर	53 प्रतिशत	47 प्रतिशत
सागर	07 प्रतिशत	93 प्रतिशत
टीकमगढ़	55 प्रतिशत	45 प्रतिशत
उपरोक्त तीनों	44 प्रतिशत	56 प्रतिशत

स्पष्ट है कि इंसान की आजीविका में पशुओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इस दशा में एक ओर उन्हें अपने पशुओं की भूख–प्यास देखी नहीं जाती, दूसरी ओर वे आजीविका के इस महत्वपूर्ण साधन को खोने की स्थिति में है।

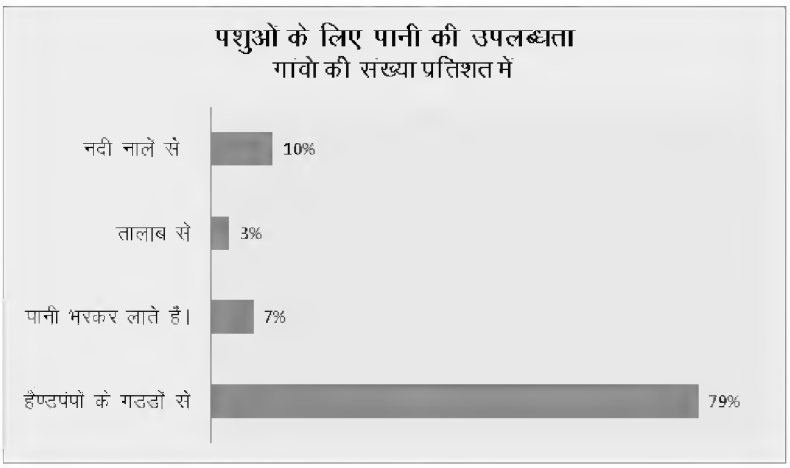

पशुओं के पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या सागर जिले में देखी गई। यहां सर्वेक्षित गांवों में से 93 प्रतिशत गांवों में पशुओं के पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। जबकि छतरपुर जिले के 47 प्रतिशत और टीकमगढ जिले के 45 प्रतिशत गांवों में पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

सर्वेक्षित जिन 44 प्रतिशत गांवों में पशुओं के लिए कुछ पानी उपलब्ध है, उनमें से ज्यादातर गांवों में लोग हैण्डपंप के समीप बने गड्ढों में निकास का पानी पशुओं को पिलाने के लिए उपयोग करते हैं। 79 प्रतिशत गांवों के पशु इसी पानी पर निर्भर है। किन्तु जलस्तर नीचे चले जाने से कई हैण्डपंप या तो बहुत कम चलते हैं या बंद होने की स्थिति में है, इस दशा में इन गांवों में पशुओं के लिए पानी का संकट पैदा होने लगा है। अध्ययन के दौरान 7 प्रतिशत गांव ऐसे पाए गए, जहां लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए दूर कुएं से पानी लाते हैं या कुए पर पशुओ को ले जाकर उसमें से पानी निकालकर पिलाते हैं। इस तरह वे बहुत मेहनत से पशुओं का बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 प्रतिशत गांवों में तालाबों में बचा पानी पशुओं के पीने के काम आ रहा है, वहीं नदी–नालों के समीप बसे 10 प्रतिशत गांव के पशुओं के लिए वहां पानी उपलब्ध है।

यह स्पष्ट है कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक हुए इस सर्वेक्षण के अनुसार 56 प्रतिशत गांवों के लोग पानी और चारे के अभाव में अपने पशुओं को छोड़ने के लिए विवश थे। किन्तु समय के साथ इन गांवो की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। क्योंकि जिन गांवों के लोग हैण्डपंप और कुओं का पानी पशुओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, वहां हैण्डपंप और कुओं के बंद होने के साथ ही पशुओं के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और उन्हें भी अपने मवेश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा।

सर्वेक्षित 66 गांवों में से जिन 37 (56 प्रतिशत) गांवों में पशुओं के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, वहां लोगों ने 12804 पशुओं को खुला छोड़ दिया है, जो वहां मौजूद कुल पशुओं का 91 प्रतिशत है। यदि हम पशुओं को खुला छोड़ने की स्थिति का आकलन करें तो सर्वेक्षित तीनों जिलों में स्थिति बेहद गंभीर है। छत्तरुपर जिले के सर्वेक्षित गांवों में 4500 पशुओं में से 4105 यानी 91 प्रतिशत पशु खुले छोड़ दिए गए है, वहीं सागर जिले के सर्वेक्षित गांवों में मौजूद 2500 पशुओं में से 2015 पशु और टीकमगढ़ जिले के सर्वेक्षित गांवों के कुल 7000 पशुओं में से 6674 पशु खुले छोड़ दिए गए है। ये पशु पानी और चारे की तलाश में भटक रहे हैं और प्यास तथा भूख के कारण अपने प्राण त्याग रहे हैं।

सर्वेक्षित गांवों में पशुओं की स्थिति					
जिला	सर्वेक्षित गांवों की संख्या	गांवों की संख्या जहां से पशु छोड़े गए	इन गांवों में कुल पशुओं की संख्या	छोड़े गए पशुओ की संख्या	छोड़े गए पशुओं का प्रतिशत
छतरपुर	32	15	4500	4105	91%
सागर	14	13	2500	2025	81%
टीकमगढ़	20	09	7000	6674	95%
कुल	66	37	14000	12804	**91%**

पलायन की ओर बुंदेलखंड

सूखे की परिस्थिति में बुंदेलखंड के लोगों के सामने रोजगार और भरण पोषण की समस्या महत्वपूर्ण रूप से सामने आई हैं। गांव में रोजगार के कोई साधन नहीं है। मनरेगा का क्रियान्वयन भी इतना बेहतर नहीं है कि लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल कर सकें। लोग दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, आदि शहरों में रोजगार तलाश रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन में पलायन की इस स्थिति का आकलन करने पर हम पाते हैं कि सर्वेक्षित गांवो में कुल मिलाकर 55 प्रतिशत आबादी पलायन पर है।

अध्ययन में यह पाया गया कि सर्वेक्षित गांवों में पलायन पर गए कुल मिलाकर 19746 लोगों में महिलाओं की संख्या 8833 है। यानी जनवरी 2016 से लेकर अब तक सर्वेक्षित गावों से पलायन पर गए लोगों में 45 प्रतिशत महिलाएं और 55 प्रतिशत पुरूष है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी पलायन पर है। अध्ययन में यह पाया गया कि पलायन पर गए कुल लोगों में 15 प्रतिशत आबादी 0 से 5 वर्ष आयु समूह के बच्चों की है। स्पष्ट है कि 45 प्रतिशत महिलाओं के पलायन पर होने से पलायन करने वाले बच्चों की संख्या में भी बढोतरी हुई। पलायन पर बच्चों को साथ ले जाने वाली महिलाओं के लिए वहां के सुविधाजनक आवास, स्वच्छ पेयजल के अभाव तथा पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़रहा है।

पलायन करने वाली 17 प्रतिशत आबादी 6 से 17 वर्ष के बच्चों और किशोर–किशोरियों की है। इस तरह हम देखते हैं कि बुंदेलखंड से पलायन करने वालों में बच्चों यानी अवयस्कों की संख्या 32 प्रतिशत है। यानी जिस आयु समूह को पोषण और शिक्षा की सर्वाधिक जरूरत है, वह बड़ी संख्या में पलायन पर है। बुंदेलखंड के अकाल और पलायन का यह सबसे चिंताजनक पहलू है। पलायन करने वाले लोगों का आयु के अनुसार आकलन करने पर हम पाते हैं कि

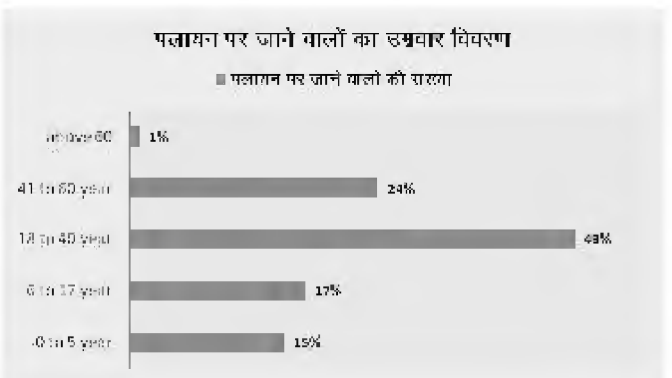

पलायनग्रस्त लोगों में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 43 प्रतिशत है। जबकि 41 से 60 वर्ष आयु समूह के लोगों की संख्या 24 प्रतिशत और 1 प्रतिशत लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

बुंदेलखंड के पलायन से सरकार भी अच्छी तरह बाकिफ है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की आंतरिक समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी एक रिपोर्ट में बुंदेलखंड से हो रहे पलायन पर चिंता

जाहिर की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बुंदेलखंड से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार टीकमगढ़ जिले से 579371 लोग पलायन कर चुके है, जबकि छतरपुर से 766809 लोग, सागर से 849148, पन्ना से 256270 तथा दतिया से 270277 लोग पलायन पर जा चुके हैं। इस तरह आज पलायन बुंदेलखण्ड के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जिसे बदलने के लिए सघन और ठोस उपायो की जरूरत है।

पलायन की पीडा और बंधुआ मजदूरी

सूखे के चलते पलायन की पीडा कितनी तकलीफदेह होती है, यह धर्मपुरा गांव के माखनलाल की कहानी से जानी जा सकती है। छतरपुर जिले की बक्स्वाहा ब्लाक के इस गांव की जनसंख्या लगभग 1200 है। जिनमें 40 परिवार दलित समुदाय के, 15 आदिवासी और 66 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। यहां के माखनलाल बताते हैं कि ''मेरे परिवार में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमे हम पति, पत्नी और 7 बच्चे हैं। मेरे पास किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है, मात्र एक पुश्तैनी झोपडी है। रोजगार के लिए केवल षि आधारित मजदूरी है, जो की फसल के मौसम में ही मिलती है। गांव में मजदूरी 20–25 दिन के लिए मिलती है, जिसमे 120 –150 रूपये मजदूरी (प्रतिदिन) मिलती है। मेरे पास गरीबी रेखा का कार्डहै, जिससे मेरे परिवार को 40 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह प्राप्त होता है।

पिछले साल हमारे गाँव में सूखे की समस्या ने एक विकराल रूप धारण किया और गाँव में खरीफ और रबी की फसल न होने के कारण मुझे और मेरे परिवार को कृषि आधारित मजदूरी भी प्राप्त नहीं हुई। मेरे अलावा गाँव में अन्य 20 परिवार भी थे, जिनकी हालात मेरी तरह ही थी। हमने आपस में चर्चा कर रोजगार की तलाश में गाँव से बाहर जाने का फैसला किया।

जून 2015 में 46 लोग अपने बच्चों के साथ दिल्ली गए, जिसमें 29 लोग काम करने वाले थे, जिनकी उम्र 18– 43 वर्ष के बीच थी। हम दिल्ली में एक व्यक्ति से मिले, जिसे लोग जमींदार बिल्डर के नाम से जानते थे। उसे हम पहले से नहीं जानते थे। उसने हमें रोहतक, हरियाणा में अल्वालिया कंशट्रकशन कंपनी में मजदूरों की आवश्यकता के बारे में बताया और क्या हम काम करना चाहेंगे के बारे में पूछा। हम सभी लोग काम के लिए तैयार हो गए, जिसमे 9 लोग मिस्त्री का काम करेंगे और इनको 350 रुपये प्रति दिन के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और 19 लोग मजदूरी का काम करेंगे, जिन्हें 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जायेगा, यह तय हुआ। हम सभी लोगो ने 8 जून 2015 से काम शुरू किया और तीन माह तक काम किया। कार्य करने का प्रतिदिन 8 घंटे तय किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से सुबह 8 से रात 12 बजे (लगभग 16 घंटे) तक काम कराया गया। हम सभी का कुल वेतन 7,11,000 हुआ। लेकिन तीन माह में सभी मजदूरों को मात्र 70 हजार रुपये दिए गये। 10 सितम्बर 2015 तक सभी ने काम किया था। हमने अपने वेतन का भुगतान करने की बात कही तो जमींदार विल्डर ने कहा की आप लोगो को दस दिन तक रुकना पड़ेगा उसके बाद आप लोगो को आपका भुगदान किया जायेगा। हम सभी लोग बिना काम के 10 दिन तक वेतन भुगतान का इंतजार करते रहे, किन्तु दस दिन बाद भी हमारा वेतन नहीं मिला। हम सभी लोग बुरी तरह वहां फस गए थे और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरी बेटी भवानी को पीलिया हो गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। हम सभी लोगो ने यहाँ से बाहर निकलने का सोचा। मैं और मेरा एक साथी दोनों ने बीमारी का बहाना करके गेटपास बनवाया और वहां से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचे। एक आटो चालक ने हमारी मदद की और एक गैर सरकारी संगठन ने रोहतक एस डी एम के पास भेजा। रोहतक एस डी एम ने हमारी मदद की और पुलिस के साथ कंपनी साईट पर गए और सभी मजदूरों से बात की और सभी के बयान दर्ज किये। सभी को बस द्वारा दिल्ली पहुचाया गया और सरकारी विभागों से मदद की उम्मीद में चक्कर लगाने लगे। लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की, गैरसरकारी संगठन की मदद से हम सभी वहां से छूटे और सभी मजदूरों ने गाँव वापस आने का फैसला किया। मैंने (माखन लाल) लेबरकोर्ट, चंडीगढ़ जाने का फैसला किया। लेबरकोर्ट, चंडीगढ़ में दिसंबर 2015 में हमारा केस दर्ज हुआ, 4 सुनवाई के बाद मार्च 2016 में 4 लाख का चेक प्राप्त हुआ है। परन्तु हमारी मजदूरी का अनुमान 7 लाख 11 हज़ार थे। इसमें प्रत्येक मिस्त्री को सिर्फ 19 हजार व प्रत्येक मज़दूर को 14 हजार का चेक प्राप्त हुआ है।

अखबार का हॉकर
सड़क पर चिल्ला रहा था
कि सरकार ने जनता का
विश्वास खो दिया है

अब सरकार को चाहिए कि
वह अपने लिए
एक नई जनता चुन ले।

– ब्रेख्त

4

गारंटी विहीन मनरेगा

एक दशक पहले देश में लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से मजदूरों और लघु व सीमांत किसानों के पक्ष में एक बड़ी उम्मीद की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी से मिलने वाली मजदूरी उसके भरण–पोषण के लिए अच्छा सहारा मानी जाती है। सूखे और अकाल की स्थिति में भी इससे बहुत उम्मीदें थीं। किन्तु पिछले एक दशक के अनुभव इस दिशा में ज्यादा बेहतर नहीं रहे।

बुन्देलखंडमें सूखे के संदर्भ मे यह देखने की आवश्यकता है कि यहां मनरेगा का क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है तथा क्या यह लोगों को रोजगार देकर राहत और पलायन से मुक्ति दे पा रही है?इस संदर्भ में विभिन्न अध्ययनों और सरकार के खुद के आंकड़ों से भी उत्साहजनक तस्वीर समाने नहीं आती। हालांकि सूखा प्रभावित क्षेत्र में सरकार द्वारा मनरेगा में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए गए हैं। अत: यह देखने की जरूरत है तक अब तक 100 दिनो के रोजगार की क्या स्थिति है और 150 दिनों का रोजगार लोगों को कैसे मिल पाएगा?ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्त वर्ष 2015–16 के आँकड़ों के अनुसार बुन्देलखण्डके छह जिलों सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया में मनरेगा के तहत महज 25 प्रतिशत काम ही पूरे हो पाए। इस वर्ष पन्ना में 3620 और दमोह में 8620 काम शुरू किये गए थे। मगर पन्ना में 74 और दमोह में 627 काम ही पूरे हो सके। यही हाल बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों का है। टीकमगढ़ में 27.3, छतरपुर 12.48, सागर 17.59 और दतिया में 25.1 प्रतिशत कार्य ही पूरे हो सके।

मनरेगा में शुरू हुए कार्यो की स्थिति (वर्ष 2015–16)[6]

जिला	शुरू हुए कार्यो की संख्या	पूरे हुए कार्यों की संख्या	पूरे नहीं हुए कार्ये की संख्या	पूरे हुए कार्यों का प्रतिशत
सागर	5575	980	4591	17.59
दमोह	8620	627	7993	7.27
छतरपुर	5802	724	5078	12.48
टीकमगढ़	3235	883	2352	27.3
पन्ना	3620	74	3546	2.04
दतिया	3367	845	2522	25.1

6. केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 2015 में जारी रिपोर्ट (पत्रिका, 25/4/16)

मनरेगा के तहत जिन लोगों ने काम किया उन्हे समय पर मजदूरी भी नहीं मिल पाई, जिससे लोगों का मनरेगा के प्रति आकषर्ण खत्म हो गया। सागर जिले में मार्च माह तक मजदूरी और मटेरियल का 23 करोड़ रुपए बकाया थे। स्वराज

अभियान द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में शामिल बुंदेलखंड में किए गए अध्ययन के अनुसार इस वर्ष अप्रैल माह में सिर्फ 29 प्रतिशत लोगों को ही मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ। जबकि मध्यप्रदेश के छह जिलों में अप्रैल माह में 18 लाख 81 हजार 296 मानव दिवस रोजगार की संभावना जताई गई थी, मगर रोजगार सिर्फ पांच लाख 47 हजार 136 मानव दिवस का ही मिल सका। इस तरह कुल संभावना का सिर्फ 29 प्रतिशत मानव दिवस का काम ही मिला (मनरेगा वेबसाइट दिए गए आंकड़ों के अनुसार)। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में संभावना के मुकाबले छतरपुर में 24 प्रतिशत, दमोह में 40 प्रतिशत, पन्ना में 16 प्रतिशत, सागर में 41 प्रतिशत और टीकमगढ़ में 20 प्रतिशत मानव दिवस काम उपलब्ध हो सका है। मनरेगा में काम नहीं मिलने से सबसे ज्यादा खराब स्थिति टीकमगढ़ और छतरपुर जिलें में देखी जा सकती है, जहां हर रोज हजारों लोग पलायन करने को विवश है। इन जिलो में 4.53 लाख कार्य दिवस का लक्ष्य था, जबकि अब तक वास्तव में 20 प्रतिशत कार्यदिवस रोजगार की उपलब्ध करवाया जा सका।[7]

जमीनी हकीकत

बुंदेलखंड क्षेत्र में मनरेगा के क्रियान्वयन की स्थिति का और गहराई से अध्ययन करने के लिए टीकमगढ़ और छतरपुर जिले के 11 गांवों में ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई, वहां मनरेगा के अंतर्गत चले कार्यो का विवरण ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यो का अवलोकन किया गया। अध्ययन की इस प्रक्रिया से मनरेगा के क्रियान्वयन में कई ऐसी खामियां पाई गई, जिससे लोग अपने हक के रोजगार से वंचित हुए है।

अब तक नहीं बने जॉब कार्ड

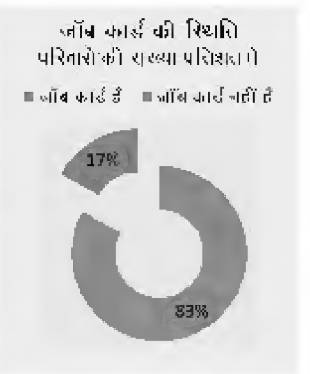

मनरेगा के अंतर्गत गांव के प्रत्येक परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मानी गई है। जबकि अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि अब भी 17 प्रतिशत लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है। अध्ययन के अंतर्गत पाए गए कुल 3346 परिवारों में से 2762 परिवारों के पास ही जॉब कार्ड है। यानी 584 परिवार जॉब कार्ड से वंचित है। इस संदर्भ में यह इन सवालों के उत्तर तलाशे गए कि इन परिवारों के जॉब कार्ड नहीं होने से क्या मनरेगा के अंतर्गत वे रोजगार के अधिकार से वंचित हुए हैं? ग्रामवासियों से चर्चा में यह बात सामने आई कि कई सालों पहले जो लोग संयुक्त परिवार के सदस्य थे, बाद में उनका अलग परिवार होने के बावजूद मनरेगा में उन्हें अलग परिवार नहीं मानते हुए जॉब कार्ड जारी नहीं किया गया। यानी पंचायत के रिकॉर्ड में पुराने संयुक्त परिवार का हिस्सा होने के वजह से उन्हें अलग से रोजगार के अधिकार से वंचित रखा गया। यहीं कारण है कि आज बुंदेलखण्ड के गांवों में कुल वास्तविक परिवारों में से 83 प्रतिशत परिवारों के पास ही अपना जॉब कार्ड है। नए परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पंचायत द्वारा शुरू नहीं की गई।

रोजगार के अधिकार तक पहुंच की स्थिति

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित परिवारों को पिछले एक साल में मिले रोजगार का आकलन किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों से प्राप्त आंकड़ों और ग्रामवासियों से चर्चा करने पर हम पाते हैं कि वर्ष 2015–16 में गांव में रहने वाले कुल परिवारों में से 39 प्रतिशत परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ। उनमें 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, कई परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं होने से उन्हें मनरेगा के रोजगार का लाभ नही दिया जा रहा है। इस

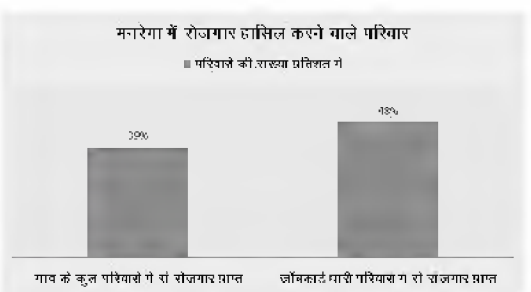

[7] http://hindi.catchnews.com/india/

दशा में हम पाते हैं कि कुल जॉब कार्डधारी परिवारों में से रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 48 प्रतिशत हैं। इससे स्पष्टहै कि विगत् वित्तीय वर्ष (वर्ष 2015–16) में गांव में रहने वाले वास्तविक परिवारों में से करीब एक तिहाई परिवारों को मनरेगा में रोजगार मिला।

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में रोजगार पाने वाले परिवारों का आकलन करने पर हम पाते हैं कि सर्वेक्षित गांवों में रोजगार पाने वाले परिवारों में से मात्र 8 प्रतिशत परिवारों को ही वर्ष में 100 दिनों का रोजगार हासिल हुआ। जबकि 6 प्रतिशत परिवरों को 81 से 90 दिनो का और 11 प्रतिशत परिवारों को 71 से 80 दिनों का रोजगार हासिल हुआ। इस तरह हम पाते हैं कि रोजगार पाने वाले परिवारों में से 42 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से अधिक और 58 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से कम का रोजगार मिला। यह स्पष्टहै कि रोजगार प्राप्ति के ये आंकड़ेपूरे एक वर्ष के हैं।

क्या काम हुए?

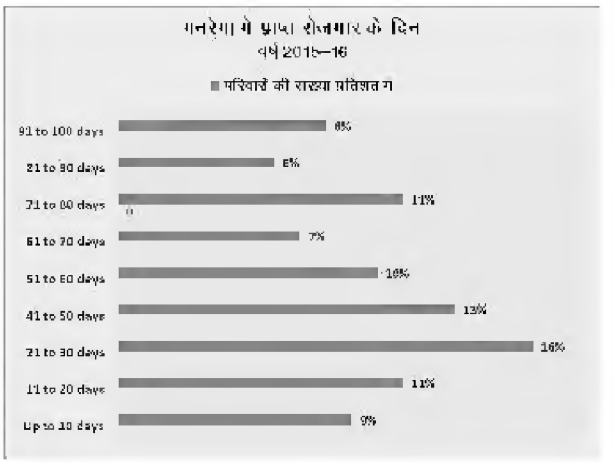

मनरेगा के अंतर्गत करवाए जाने वाले कामों के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने प्रयास किया गया कि वर्ष 2015–16 में गांवों में कौन–कौन से काम करवाए गए। उल्लेखनीय है वर्ष 2013 में जारी मनरेगा के नए दिशा निर्देशों में ऐसे कामों को शामिल किया गया था, जिनसे गांव में जल और मिट्टी संरक्षण हो सके और आजीविका विकास की दिशा में गांव आगे बढ़ सकें। अत: मनरेगा में कई सार्वजनिक एवं हितग्राही मूलक कामों को जोड़ा गया। मनरेगा में शामिल हितग्राही मूलक कामों, जैसे खेतों में पालाबंदी, कंटूर ट्रेंच का निर्माण, खेत तालाब, आदि शामिल है। इससे खेती में सुधार होने और पानी तथा मिट्टी के संरक्षित होने की संभावना सामने आती है। इसी के साथ ही पशु शेड बनाने और कपिलधारा योजना के अंतर्गत खेतों में कुओं की खुदाई को भी मनरेगा में शामिल किया। इन कामों के जनभागीदारी एवं पारदर्शितापूर्ण क्रियान्वयन से गांव की तस्वीर बदली जा सकती थीं और लोगों के लिए आजीविका का विकास करने वाली संरचनाएं तैयार की जा सकती थीं।

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त तथ्यों अनुसार पंचायत द्वारा किए गए कार्यो की कोई उत्साहजनक तस्वीर सामने नहीं आती। क्योंकि पंचायत द्वारा किए गए ज्यादातर काम परंपरागत् ही है, जिनमें सीसी रोड़, रास्तों का मुरमीकरण, निर्माण कार्य आदि शामिल है। सर्वेक्षित गांवों में यह पाया गया पिछले एक साल में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी खेती में पालाबंदी, कंटूर ट्रेंच, खेत तालाब का निर्माण नहीं किया गया। सिर्फ कुछ सार्वजनिक तालाब और कपिलधारा कुओं को छेड़कर जल एवं मिट्टी संरक्षण के कोई कार्य दिखाई नहीं देते।

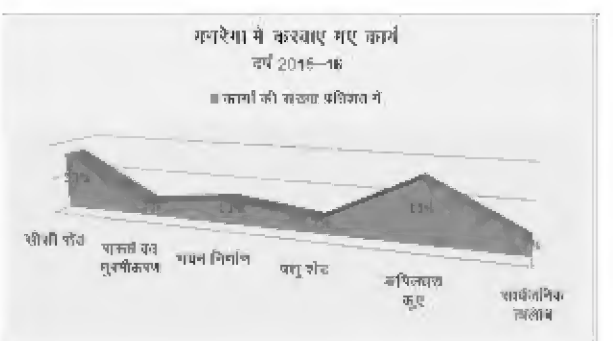

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के अनुसार वर्ष 2015–16 में सर्वेक्षित गांवों में किए गए कुल कामों में से 33 प्रतिशत कार्य सीसी रोड़ के हैं, जबकि 7 प्रतिशत कार्य मुरमीकरण और 13 प्रतिशत कार्य भवन निर्माण के हैं। इस तरह हम पाते हैं कि बीते वर्ष में पंचायतों द्वारा किए गए कुल कार्यों में से 53 प्रतिशत कार्यों का जल व मिट्टी संरक्षण और आजीविका विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है। सिर्फ 7 प्रतिशत कार्य सार्वजनिक तालाब के

पाए और 33 प्रतिशत कार्य कपिलधारा कुए के हैं। किन्तु कुओं को रिजार्च करने के लिए जिस पैमाने पर तालाबों की जरूरत महसूस होती है, वे बीते वर्ष में नहीं बनाए गए।

बुंदेलखंडके सूखा और अकाल के संदर्भ में मनरेगा में कार्यो का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि मनरेगा की राशि का उपयोग जल व मिट्टी संरक्षण की संरचनाओं के निर्माण किया जाए तो भूजल रिचार्ज तथा सतही पानी को सहेजने का बेहतर कार्य किया जा सकता है। किन्तु पंचायत द्वारा किए गए कार्यो के चयन में इस दृष्टिकोण का अभाव देखा गया।

मनरेगा : मजदूरी न मिलने से टूटा भरोसा

मनरेगा में मजदूरी भुगतान एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसीलिए यह बुंदेलखंडमें पलायन रोकने में नाकाम साबित हो रही है। दमोह जिले में तेन्दुखेड़ा ब्लाक के ग्राम देवरी लीलाधर में यह बात सामने आई। यहां के कई लोगों की मजदूरी पिछले एक साल से बकाया है। लोग कहते हैं कि यदि मजदूरी समय पर मिल जाए तो वे गांव में ही रहकर मजदूरी करना चाहेंगे। 3000 की आबादी वाले इस गांव में 688 परिवार निवास करते हैं, जिनमें 250 परिवार लोधी और इतने ही परिवार दलित समुदाय के हैं। आदिवासी समुदाय के 125 परिवारों के साथ ही कुछसंख्या में रेकवाल, ठाकुर और ब्राम्हण परिवार निवास करते है। यहां सूखा और पलायन का सबसे ज्यादा असर दलित एवं आदिवासी परिवारों पर देखा जा सकता है, जिनमें भूमिहीन या बहुत कम भूमि वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। छोटेऔर सीमान्त किसानों के असिंचित खेतों में कोई फसल नहीं हो पाई, किन्तु बीज, खाद और कीटनाशक हेतु लिए कर्ज की फसल लगातार बढ़रही है। गांव के उमाशंकर अहिरवार बताते हैं कि ''हर साल खरीफ में धान और रबी मे गेहूं कि थोड़ी–बहुत उपज हो जाती थी, किन्तु इस बार तो वह भी नहीं हुई, जिससे पेटभरने का संकटपैदा हो गया। इस दशा में पलायन ही एक मात्र रास्ता दिखाई देता है।''

रोजगार और भरण पोषण के संदर्भ में सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा का है, जिसके जरिये गांव में रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन से मुक्ति के सपने देखे गए थे। लेकिन इस गांव के मिश्रीलाल, शंकर, कीरथ, हीरा, रामलाल सहित कई लोग कहते हैं मनरेगा में काम के बजाय बाहर जाकर और तकलीफ उठाकर काम करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वहां मजदूरी तो मिल जाती है, मनरेगा में तो मजदूरी भी नहीं मिलती।'' ये वे लोग हैं जो मनरेगा में अपनी कई दिनो की मजदूरी खो चुके हैं। सरपंच और पंचायत सचिव भी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी मजदूरी मिलेगी या नहीं और यदि मिलेगी तो कब तक?

देवरी लीलाधर गांव के 15 लोगों ने बताया कि पिछले एक साल से उनकी मजदूरी बकाया। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को भी अर्जी दी, लेकिन मजदूरी आज तक नहीं मिली। यहां सालभर पहले बने पंचायत भवन में काम करने वाले शंकर, पिल्लू, कीरथ, भरत, नीलेश, अशोक की एक सात से पन्द्रह दिन की मजदूरी बकाया है। मनरेगा के साथ ही अन्य योजनाओं की राशि भी लोगों को नहीं मिल पाई। मिश्रीलाल बताते हैं कि ''मैने पंचायत सचिव के कहने पर घर में शौचालय बना लिया। पंचायत सचिव को अपना टारगेट पूरा करना था। उसके कहा कि आप कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके शौचालय बना लो, कुछही दिनों में पूरा पैसा मिला जाएगा। मैने 6400 रूपए साहूकार से उधार लेकर शौचालय बना लिया। इस पैसे पर दिन पर दिन ब्याज चढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक पैसा आया नहीं।'' यही हालत यहां के प्रेमसिंह की है, जिन्होंने पंचायत सचिव के कहने पर शौचालय तो बना लिया, लेकिन एक साल से पैसे का इंतजार ही करते आ रहे हैं। यहां के नीलेश, सुरेन्द्र और पार्वती ने सालभर पहले शौचालय निर्माण में मजदूरी की थी। लेकिन उनकी मजदूर भी आज तक नहीं मिली। बकाया मजदूरी भुगतान के बारे में सरपंच का कहना है कि ''सालभर पहले से मजदूरी भुगतान का नया तरीक ''ईएफएमएस'' (इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम) शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा सीधे मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा करवाए जाते हैं। हमने इनकी मजदूरी और बैंक खाते की पूरी जानकारी जनपद पंचायत को दे दी थी। किन्तु उन्होंने शायद कम्प्युटर में उसकी इंट्री नहीं की, जिससे इनकी मजदूरी जमा नहीं हुआ। चूंकि मामला एक साल पूराना है इसलिए जनपद के कर्मचारी इनकी मजदूरी की फिर से इंट्री नहीं कर रहे हैं। अत: इनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है।''

इससे स्पष्टहै कि प्रशासनिक त्रुटिऔर लापरवाही की वजह से इस गांव के कई लोग मजदूरी से वंचित है और आगे भी यह मजदूरी मिलने की संभावना नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि पंचायत राज के प्रशासनिक ढांचें में इस गलती को सुधारने और लोगों को मजदूरी भुगतान का कोई तरीका ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक किसी को नहीं सूझ रहा है। इस स्थिति ने लोगों की मनरेगा के प्रति निराशा उत्पन्न कर दी है और मनरेगा में मजदूरी करने के बजाय बाहर जाकर मजदूरी करना पसंद करते हैं।

5

कहां है बुंदेलखण्ड का पानी?

सूखा की परिस्थिति ने बुंदेलखंड में प्यास बुझाना मुश्किल हो गया है। यहां ज्यादातर गांवों में पेयजल स्रोत या तो सूख चुके हैं या उनसे बहुत कम पानी मिल रहा है। इस दशा में लोगों को गांव के दूर खेतों में बने कुओं से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। लोग साइकिल, बैल गाड़ी से पानी ला रहे हैं। ज्यादातर गांवों के ट्यूबवेल और हैण्डपम्प सूख चुके हैं। कुएं बहुत पहले ही जवाब दे चुके हैं। भूजल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बताया जाता है कि बुंदेलखंड में कई स्थानों पर भूजल स्तर रोजाना 3–6 इंच गिर रहा है। कहीं–कहीं तो जल स्तर 400 फीट से भी नीचे पहुंच चुका है।[8] सूखे और गिरते भूजल स्तर के कारण गावों के कई हैण्ड्पंप बंद हो गए है या उनमें बहुत कम पानी आता है। पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री रामपाल यादव ने लोकसभा के पिछ्ले सत्र में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें इस स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त रुप से प्रयास कर रही हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। सभी जलापूर्ति प्रणालियों को सुधारा जा रहा है और टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया गया है। भू जल की पर्याप्तता वाले क्षेत्रों में निजी कुओं और बोरवेल को किराए पर लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूखा प्रभावित राज्यों को 2172.43 करोड़ रुपए जारी किए

विकलांगता पर भारी पानी का बोझ

पानी के संकट से किस तरह लोगों के मानव अधिकार का हनन होता है, यह गीता विश्वकर्मा और उनके पति अनन्तराम विश्वकर्मा की पीड़ा से पता चलता है। छतरपुर जिले के राजनगर ब्लाक के ग्राम ड्हार्रा के 31 वर्षीय अनन्तराम और उनकी पत्नी 27 वर्षीय गीता दोनों की विकलांग होने के बावजूद एक किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश है।

अनन्तराम 100 प्रतिशत दृष्टि बाधित है, यानि उन्हें दिखाई नहीं देता है। जबकि उनकी पत्नी गीता 100 प्रतिशत अस्ति बाधित विकलांग है। गीता बताती है कि मेरे माता–पिता बचपन में ही खत्म हो गए, उनकी जमीन थी, वह बांध में चली गई और उसका मुआवजा भी आज तक नहीं मिला। वहां से विस्थापित होने पर यहां आई, लेकिन यहां पानी की समस्या से जीवन जीना मुश्किल हो गया। दोनों पति पत्नी हर रोज अपनी ट्राईसाईकिल पर ड्ब्बे रखाकर गांव से तीन किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। चूंकि छोटी बच्ची को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसे भी साथ ले जाते हैं। घर की जरूरत के लिए वे तीन ड्ब्बे पानी गाड़ी में रखाते हैं। गीताबाई साईकिल का हैण्ड पकड़्ती है और अनन्तराम पीछे से साईकिल को धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं। इस तरह बड़ी मुश्किल से यह परिवार अपनी जरूरत का पानी लेकर घर पहुंचता है।

[8] केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड

गए हैं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे स्थिति में सुधार के लिए किए गए उपायों पर दैनिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजे। सांसद में यह बात स्पष्टकी गई कि मध्यप्रदेश के बुंदेलखंडक्षेत्र के छह जिलों के 1578 गांव पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं।

बुंदेलखण्ड में पेयजल की स्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत छतरपुर, सागर एवं टीकमगढ़ जिले के 66 गांवों में लोगों से चर्चा की गई, ग्राम पंचायतों जानकारियां एकत्र की गई और गांवों का अवलोकन किया गया। इस प्रक्रिया से सामने आए तथ्यों के अनुसार वर्तमान में बुंदेलखंड के लोग पेयजल के लिए तीन प्रकार के जल स्रोतों पर निर्भर है, एक हैण्डपंप, दूसरा कुए और तीसरा तालाब व नदी–नाले। स्पष्टहै कि कुए, तालाब और नदी–नालों का पीने के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की अस्वचछता या गंदगी पाई जाती है। इसके बावजूद बुंदेलखंडलोग पेयजल के इन असुरक्षित स्रोतों का पानी पीने को विवश है। प्रस्तुत अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार बुंदेलखण्डके 70 प्रतिशत गांवों के लोग पेयजल हेतु हैण्डपंप पर निर्भर है, वहीं 30 प्रतिशत गांवों के लोग कुए, तालाब और नदी नालों का पानी पीने को मजबूर है। इनमें 23 प्रतिशत गांवों के लोग कुए और 8 गांव के लोग प्रतिशत नदी–नाले व तालाब पर निर्भर है।

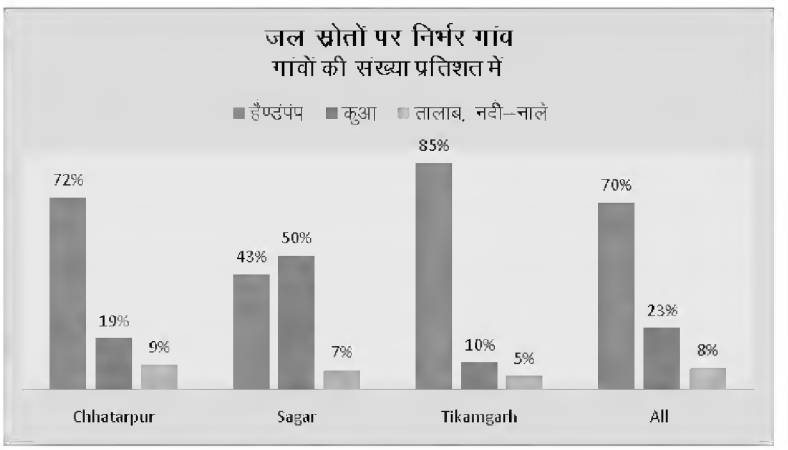

पेयजल के मामले में सबसे गंभीर स्थिति सागर जिले में पाई गई, जहां 50 प्रतिशत गांवों के लोग पेयजल हेतु कुओं पर निर्भर है और 7 प्रतिशत लोग तालाब का पानी पी रहे हैं। जबकि छतरपुर जिले में कुए पर निर्भर परिवारों की संख्या 19 प्रतिशत और तालाब पर 9 प्रतिशत परिवार निर्भर है। इसी तरह टीकमगढ़ जिले में हैण्डपंप पर निर्भर 85 प्रतिशत गावों के साथ ही 10 प्रतिशत कुओं और 5 प्रतिशत गांव तालाब या नदी–नालों पर निर्भर है।

यदि हम गांवों के साथ ही पेयजल स्रोतों पर आबादी की निर्भरता का आकलन करें तो स्थिति लगभग एक जैसी दिखाई देती है। सर्वेक्षित गांवों की कुल आबादी का 72 प्रतिशत हिस्सा हैण्डपंप पर निर्भर है, वहीं 21 प्रतिशत कुओं पर और 7 प्रतिशत आबादी तालाब व नदी नाले के पानी पर निर्भर है। इस तरह हम देखते हैं कि अस्वच्छ पेयजल पर कुल मिलाकर 28 प्रतिशत आबादी निर्भर है। हालांकि अध्ययन के दौरान 6 गावों में नल–जल योजना पाई गई, किन्तु एक भी गांव में नल–जल योजना चालू हालत में नहीं थीं।

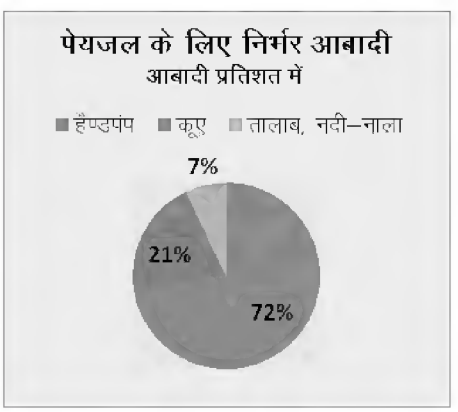

जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, 70 प्रतिशत गांवों के लोग पेयजल के लिए मुख्य रूप से हैण्डपंप पर निर्भर है। इस संदर्भ में यह देखना होगा कि क्या इन गांवों में हैण्डपंप पर्याप्त पानी दे पा रहे हैं और एक हैण्डपंप पर कितनी आबादी निर्भर है। अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार 37 प्रतिशत गांवों में 150 आबादी पर एक हैण्डपंप पर निर्भर है। जबकि 17 प्रतिशत गांवों में 300 की आबादी पर एक हैण्डपंप है। 13 प्रतिशत गांव ऐसे पाए गए जहां 500 से 700 की आबादी पर एक हैंण्डपंप मौजूद है। 2 प्रतिशत गांवों में तो 1000 या उससे अधिक आबादी हैण्डपंप पर निर्भर है।

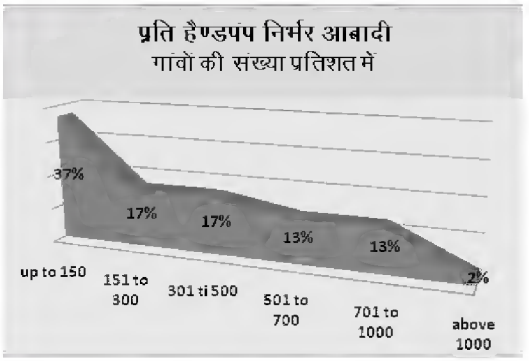

इस तरह हम देखते हैं कि बुदेलखण्डके जल स्रोतों पर आबादी का इतना दबाव है कि उनसे पानी प्राप्त करने के लिए लोगों को घंटों लग जाते हैं। कई हैण्डपंप एवं कुओं में तो एक–दो घंटे में पानी खत्म हो जाता है तथा तीन–चार घंटे इंतजार के बाद पानी एकत्र होता है। पानी का संकट उन महिलाओ के लिए ज्यादा संघर्षपूर्ण है, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ज्यादातर महिलाओं को पानी लाने के लिए 1 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

कितना स्वच्छहै पानी?

प्यास बुझाने के लिए 1 से 3 किलोमीटर दूर से कठोर मेहनत करके लाया जा रहा पानी कितना साफ है, इस सवाल का उत्तर तलाशने पर हम पाते हैं कि दूर खेत में स्थित कुओं में बहुत कम पानी बचा है और वह भी मटमैला हो गया है। यानी उसमें मिट्टी के कण घुले हुए हैं। यह पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। यही कारण है कि सर्वेक्षित गांवों में से 23 गांवों के लोग उल्टी, दस्त, पेंचिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त है।

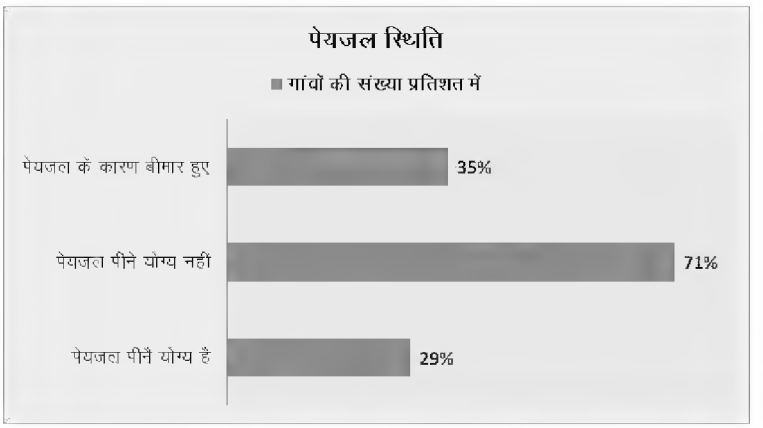

अध्ययन में पाया गया कि कुल सर्वेक्षित गावों में से 71 प्रतिशत गांवों के लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर गांव वे हैं, जिन्हें पीने का पानी कुओं, तालाबों व नदी नालों से मिल रहा है। स्पष्टहै कि इन जलस्रोतों में कई तरह की गंदगी होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। बीमारियों के इलाज की सुविधा गांव के आसपास नहीं होने से उन्हें ब्लाक मुख्यालय या उसके समीप किसी बड़ेगांव में जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर उपलब्ध हो। ज्यादातर लोग प्रायवेट गैर डिग्रीधारी डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। एक बार के इलाज में 500 रूपए तक खर्च हो जाते है। लोगों के अनुसार एक बार बीमार होने पर तीन–चार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और बीमारी ठीक होते–होते एक से डेढ़हजार रूपए खर्च हो जाते हैं।

इस तरह स्पष्ट है कि बुंदेलखण्ड में पेयजल हासिल करना बहुत ही तकलीफदेह है। इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है, जिन्हें दूर से पानी लाना पड़ रह है। किन्तु पानी की इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए कोई कदम प्रशासन व पंचायत द्वारा नहीं उठाए गए। लगभग सभी ग्रामवासियों ने बताया कि पिछले छह महीनों में इन गावों में पेयजल समस्या हल करने के लिए कोई नई संरचनाएं विकसित या स्थापित नहीं की गई। हैण्डपंप दिन पर दिन बंद होते जा रहे हैं। जिन गांवों में नल–जल योजनाएं हैं, वे उनमें से ज्यादातर बंद पड़ी है ओर उसे दुरूस्त करने के कोई प्रयास नजर नहीं आता। वर्तमान में कुछपंचायतों में सार्वजनिक एवं निजी कुआं का निर्माण जारी है, किन्तु ये कुए आगामी कुछ महीनों बाद ही पानी देने की स्थिति में होंगे। अत: बुंदेलखण्ड की पेयजल समस्या हल करने के लिए दूरगामी योजना बनाने के साथ ही लोगों को तात्कालिक राहत एवं उपाय की जरूरत है।

पानी, बीमारी और कर्ज का चक्रव्यूह

बांधों पहाड़ गांव में पानी के संकटने एक ऐसे चक्रव्यूह का रूप ले लिया है, जिसमें लोग एक के बारे एक कई समस्याएं में घिरते आ जा रहे हैं। दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा ब्लाक के इस गांव में सिर्फ दो कुओं में ही पानी बचा है और वह भी मटमैला और गंदा। इस पानी के पीने से लोग बीमार होते हैं, बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इस तरह यहां पानी की समस्या ने लोगों को बीमार और कर्जदार बना दिया है।

यहां के काशीराम की कहानी इस बात को अच्छी तरह साबित करती है। उनकी पत्नी पार्वती को पिछले दो माह में 6 बार उल्टी–दस्त की बीमारी हो हुई। गांव के आसपास कोई सरकारी अस्पताल नहीं होने से 5 किलोमीटर दूर ग्राम तेजनगर के प्रायवेट डॉक्टर से इलाज करवाया गया, जिसमें 3000 रूपए से अधिक खर्च हो गए। इसी बीच काशीराम के पेटमें भी दर्द होने लगा। उसे भी अपना इलाज करवना पड़ा। डॉक्टर का कहना था कि दूषित पानी पीने से यह पेट की बीमारी हुई है। काशीराम अपनी इलाज में 1000 रूपए खर्च कर चुके हैं। काशीराम की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और इस बार के सूखे में फसल नहीं होने से स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। इस पर भी बीमारी होने से खर्च असहनीय हो गया। काशीराम को अपनी पत्नी एवं अपने इलाज के लिए साहूकार से पांच रूपए सैकड़ा प्रतिमाह यानी 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर पैसा उधार लेना पड़ा। यानी इलाज के इन 4000 रूपयो के बदले में उसे 6400 रूपए चुकाने होंगे। चूंकि गांव मे कमाई का कोई साधन नहीं है इसलिए यदि कोई और खर्च आ जाए तो उसे फिर उधार लेना होगा। इस तरह पानी के संकटने काशीराम की जिन्दगी कर्ज का बोझ लाद दिया।

यह कहानी अकेले काशीराम की ही नहीं है। गांव में उनकी तरह कई लोग है जो दूषित पानी से बीमार हो रहे है और उधार लेकर अपना इलाज करवाने को विवश है। बांधों पहाड़ गांव में 160 परिवार गांव से 1 किलोमीटर दूर दो कुओं से पानी भरते है। करीब 30 से 40 फिटगहरे इन कुओं में भी पानी इतना कम है कि कुछही घंटों में पानी खत्म हो जाता और दो–तीन घंटों के इंतजार के बाद पानी फिर इकट्ठा होता। कुए के अंदर मिट्टी और अन्य पदार्थ भी पानी में घुले होते हैं, जिससे लोगों को उल्टी, दस्त, आंव–पेचिस जैसी बीमारियां हो रही है। हालांकि गांव में कई हैण्डपंप भी मौजूद है, किन्तु जलस्तर नीचे चले जाने से कोई भी हैण्डपंप पानी देने की स्थिति में नहीं है। मार्च माह से ही लोग इन दो कुओं से ही अपनी प्यास बुझा पा रहे हैं।

पानी के इस संकट का सबसे ज्यादा असर महिलाओ को भुगतना पड़ रहा है। दूषित पूानी के कारण वे बीमार तो हो ही रही है, साथ ही उन्हें घर का पानी भी भरना पड़ता है। कई महिलाएं बीमार होने के बावजूद कुए से पानी लाने को विवश है। यहां की गोपाबाई, लक्ष्मी और शीला बताती है कि ''पूरे परिवार का पानी भरने लिए उन्हें कुए से घर तक 10 राउण्डलगाने पड़ते है। घर से कुए की दूरी 1 किलोमीटर है, किन्तु गांव पहाड़ी पर बसा है और कुआ नीचे मैदानी क्षेत्र में है। इस दशा में सिर पर पानी का वजनदार घड़ा लेकर पहाड़ी पर चढ़ना बहुत ही तकलीफदेह होता है। पानी भरते–भरते गोपाबाई के घुटनों में इतना दर्द होने लगा कि वे ठीक से चल भी नहीं पाती। किन्तु परिवार की प्यास बुझाने के लिए वह यह कष्ट सहन कर रही है। पानी भरने वाली सभी महिलाओं को कमरदर्द और हाथपैरों में दर्द आम बात है। इस गांव की शीला बताती है कि उल्टी–दस्त जैसी बीमारियों का इलाज तो परिवार वालों द्वारा करवा दिया जाता है, किन्तु कमरदर्द और हाथपैर दर्द जैसी बीमारी पर तो परिवार के लोग भी ध्यान नहीं देते। इसे तो हमें सहन करते हुए ही जीना पड़ता है और घर का पूरा काम करना पड़ता है।

पेयजल संकट से उन बुजुर्गों की स्थिति भी बहुत गंभीर हो गई है, जिनके परिवार के लोग पलायन पर चले गए हैं। 70 वर्षीय केरिया किसी तरह अपना खाना तो बना लेते हैं, लेकिन कुए से पानी भरकर लाना बहुत मुश्किल है। इस दशा में उनका 15 वर्षीय नाती उनके लिए पानी भरकर लाता है। गांव के करीब 60 परिवार पलायन पर है, जिनमें से कई लोग बुजुर्गो को गांव में ही छेड़गए हैं। पानी के इस संकट से इन बुजुर्गों के लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है। बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने के लिए पंचायत द्वारा भी कोई प्रबंध नहीं किया गया। लोग बताते हैं कि 14 अप्रैल की ग्रामसभा में लोगों ने पानी की समस्या पर बातचीत की थी। लोगों ने हैण्डपंप लगवाने और कुओ के गहरीकरण की बात कही थी। किन्तु सचिव ने पंचायत में राशि नहीं होने की बात कहकर प्रस्ताव लिखने से इंकार कर दिया। इससे यह बात साफ होती है कि पंचायत लोगों की समस्याओ के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्योंकि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत पंचायतों को राशि अ आवंटित की जा चुकी है और ग्रामसभा के प्रस्ताव पंचायत इस राशि से पेयजल के संसाधन निर्मित कर सकती है। किन्तु पंचायत द्वारा ऐसा कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया।

6

सूखा और भूख का सवाल

क्या बुंदेलखण्ड में भूख के सिवाय कुछ भी नहीं है? इस सवाल का उत्तर तलाशने पर हम पाते हैं कि बुदेलखण्ड क्षेत्र में कभी संसाधनों का अभाव नहीं रहा। यहां मौजूद खनिज और वन सरकार की आय के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। लेकिन इन साधनों का उपयोग मानव विकास के लिए नहीं किया गया। नतीजतन बुंदेलखण्ड में भूख का सवाल खड़ा हो गया है। यह कहा जाता है कि सूखा और अकाल अवर्षा या पानी की कमी से पैदा होता है। किन्तु यदि किसी क्षेत्र के संसाधनों का मानव जीवन के हित में बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन किया जाए तो वह अवर्षा और पानी की कमी को आसानी से सहन कर सकता है।

पिछले करीब 5000 सालों से यहां का पन्ना क्षेत्र हीरा के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। यहां 40000 कैरेट हीरा निकाला जा चुका है और 1400000 कैरेट के भण्डार शेष बचे हैं। पन्ना में वार्षिक उत्पादन 26000 कैरेट हीरा है, जिससे 2 करोड़ रूपए की रायल्टी प्रदेश सरकार को प्राप्त होती है। सरकार अब यहां हिनौता, मझगवां तथा छतरपुर के अंगोर नाम स्थान पर हीरा की संभावना तलाशने में जुटी है, जबकि इसी क्षेत्र के हजारों लोग भूख से संघर्ष करने को विवश है। हीरा के साथ ही महंगे ग्रेनाइट के पत्थर भी कई लोगों की आय के साधन बने हुए है। वन सम्पदा के मामले में भी बुंदेलखण्ड पीछे नहीं रहा। यहां के पन्ना, दमोह और सागर में मौजूद 32 प्रतिशत जंगल में सागौर तथा शीशम की कीमती लकड़ी उपलब्ध है। खैर की लकड़ी से कत्था उद्योग चल रहा है। खजुराहों जैसे पर्यटन स्थल पूरी दुनिया में विख्यात है। इतनी सम्पन्नता के बावजूद बुंदेलखण्ड के लोग बेहद गरीबी में जीवन जीने को विवश है। पिछले कुछ सालों से लगातार पड़ रहे सूखे और अकाल ने यहां के लोगों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा कर दिया हैं और भरपूर सम्पदा वाले इस क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने को विवश है।

बुंदेलखंड में कुल 13 ज़िले हैं जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में आते हैं जबकि 6 मध्यप्रदेश में आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बुंदेलखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख है।[9] जिसमें से क़रीब 79 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और इनमें एक तिहाई से ज्यादा घर ऐसे हैं जो ग़रीबी रेखा से नीचे आते हैं। बुंदेलखंड में पिछले 8 महीनों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में हुए एक अध्ययन के अनुसार यहां भुखमरी और कुपोषण की स्थिति निर्मित हो गई है।[10] इसके अनुसार पिछले 8 महीने में 53 प्रतिशत गरीब परिवारों को दाल तक खाने को नही मिली। 69 प्रतिशत ग़रीब लोगों ने दूध नहीं पिया है। बुंदेलखंड में हर पांचवां परिवार हफ्ते में कम से कम एक दिन भूखा सोता है। 17 फीसदी

[9]जनगणना आंकड़े 2011 [10]बुंदेलखंड ड्रूट इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे 2015

परिवारों ने घास की रोटी खाने की बात कबूली है। इस सर्वे के मुताबिक मार्च के बाद से अब तक 40 फीसदी परिवारों ने अपने पशु बेच दिए हैं। जबकि 27 फीसदी ने ज़मीन बेच दी है या फिर रुपयों के लिए गिरवी रख दी है।

बुंदेलखंड के संदर्भ में दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश सरकार को अप्रैल माह में जारी नोटिस है, जिसमें आयोग ने मीडिया की खबरों के आधार पर संज्ञान लेते हुए दोनों राज्य सरकारों के मुख्य सचिव से पूछा है कि ''लोग महज आलू या नमक के सहारे रोटी खा कर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। सरकार उनके बारे में क्या उपाय कर रही है।'' मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार यूपी के बुन्देलखंड के 59 प्रतिशत गांवों में 10 से ज्यादा परिवारों को दो समय का भोजन नहीं मिलता। यही आँकड़ा एमपी में 35 प्रतिशत गांवों का है। इस संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यहां की खाद्य सुरक्षा की स्थिति का गहराई से आकलन किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के सागर, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिलों 66 गांवों में लोगों से साथ सीधा संवाद करते हुए खाद्य सुरक्षा से संबधित कई जानकारियां हासिल की गई। इस प्रक्रिया में यह तथ्य सामने आता है कि बुदेलखण्ड क्षेत्र के 29 प्रतिशत परिवार आज खाद्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। यह वे परिवार है, जिनके खेतों में अनाज की कोई उपज नहीं हुई। पिछले खरीफ के मौसम में बीज के लिए उधार लिए गए रूपयों पर आज भी लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है। गांव और उसके आसपास रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। इस दशा में बाहर जाकर रोजगार तलाशना ही एक मात्र विकल्प बचा है। जो लोग किसी कारण बाहर नहीं जा सके, उनके लिए दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। प्रस्तुत अध्ययन ये यह बात सामने आई है कि 4 प्रतिशत परिवार ऐसे है, जो दिन में दो समय खाना नहीं खा पाते। वे सिर्फ एक वक्त खाना खाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं।

पहुंच से दूर होता अनाज

बुंदेलखण्ड में सूखे और अकाल से उत्पन्न इस स्थिति को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इन क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। न्यायलय ने सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ती कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाने के लिए कहा, वहीं छुट्टियों में भी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन जारी रखने के निर्देश दिए। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा तक लोगों की पहुंच को बाधित करने वाली किसी भी तरह की औपचारिकता तुरन्त हटाई जाए। यानी सूखाग्रस्त क्षेत्र में यदि किसी के पास आधार कार्ड, फूड कूपन आदि नहीं भी हो, तब भी उसे सस्ती कीमत पर पूरा अनाज उपलब्ध करवाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में प्रशानिक तंत्र को आदेश भी जारी किए जा चुके है। किन्तु जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की इस स्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 43 प्रतिशत परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से अपने हिस्से का अनाज नही मिल पा रहा है। न्यायालय और सरकार किसी भी तरह की औपचारिकता व बाधा के बगैर लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने की बात कर रही है, जबकि राशन दुकान का डीलर या दुकानदार यह कहकर लोगों को खाली हाथ वापस कर रहे हैं कि उनके फूड कूपन आधार नंबर से लिंक नही है, वर्ष में 90 दिन मजदूरी नहीं करने पर कर्मकार मंडल व मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड रद्द हो गया है, आदि। यही कारण है कि 43 प्रतिशत परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अपने हिस्से का अनाज नहीं मिल पा रहा है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि कुल परिवारों में 57 प्रतिशत परिवारों

इन कारणों से नहीं दिया जा रहा पीडीएस का अनाज

- ❑ फूडकूपन फटगया या गुम हो गया है।
- ❑ फूडकूपन आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया है।
- ❑ फूड कूपन का पंचायत से नवीनीकरण नहीं करवाया गया है।
- ❑ वर्ष में कम से कम 90 दिन मजदूरी नहीं करने से कर्मकार मंडल व मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड निरस्त होने से अनाज लेने की पात्रता समाप्त हो गई है।

को पीडीएस से राशन मिल रहा है, किन्तु इसमें भी कई तरह की दिक्कतें आ ही है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत ग्रामवासियों से की गई चर्चा से यह बात स्पष्ट हुई है कि पीडीएस से अनाज प्राप्त करने वाली 33 प्रतिशत परिवारों को नियमित अनाज नही मिल रहा है। यानी जब वे राशन दुकान पर अनाज लेने जाते हैं तो या तो दुकान बंद मिलती है या खुली मिलती है तो दुकानदार द्वारा बताया जाता है कि अभी अनाज नहीं आया। इस तरह लोग बार-बार राशन दुकान के चक्कर लगने को विवश है। इस प्रक्रिया में कई बार पूरा महीना बीत जाता है और जब अगले महीने राशन दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार द्वारा कहा जाता है कि पिछले महीने का अनाज समाप्त हो गया है, यानी अब वह नहीं मिलेगा। अब सिर्फ इसी महीने का अनाज ले सकते हैं।

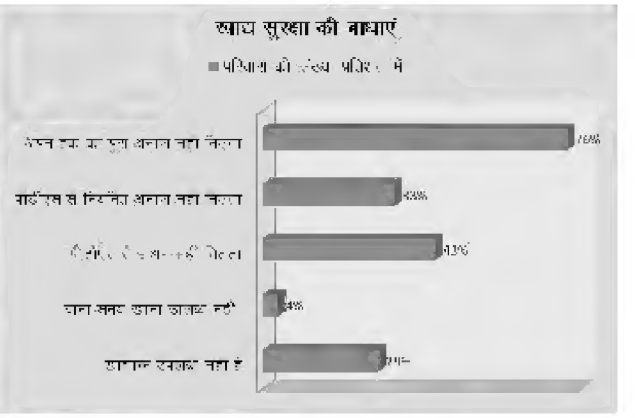

यहां यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि सरकार के किसी भी नियम या किसी भी मार्गदर्शिका में यह नहीं लिखा है कि एक महीने का अनाज नहीं लेने पर वह अगले महीने नही मिलेगा। बल्कि भारत से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि व्यक्ति अपने हक का अनाज कभी भी ले सकते हैं और यदि एक साथ पूरा पैसा नहीं है तो एक महीने का अनाज चार किश्तों में भी ले सकते है।[11] किन्तु बुन्देलखण्ड में इन निर्देशों का पालन होते हुए दिखाई नहीं देता। अध्यय से यह तथ्य भी सामने आता है कि पीडीएस से अनाज प्राप्त करने वाले परिवारों में से 76 प्रतिशत परिवारों को पूरा अनाज नहीं मिलता। यानी उन्हें उनकी पात्रता से कम अनाज दिया जाता है। इससे यह सवाल सामने आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन दुकान द्वारा की जा रही मनमर्जी को रोकने के लिए प्रशासनिक तंत्र द्वारा अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यहां जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की मॉनिटरिंग व्यवस्था फेल होती हुई दिखाई देती है।

भरण पोषण के लिए फूलवती का संघर्ष

सागर जिले के बंडा विकास खण्ड के चकेरी गांव की 59 वर्षीय फूलवती को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 1460 की आबादी वाले इस गांव में दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। फूलवती दलित समुदाय की है और गांव में अकेली रहती है। फूलवती बताती है कि ''41 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, तब मै बहुत छोटी थी। शादी के दस दिन बाद ही पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया।'' इस पर गांव में पंचायत बैठी और गांव के बुजुर्गों ने पति द्वारा दूसरी शादी करने और मुझे घर से निकलने की बात पर फैसला लिया, जिसमें उन्होंने मुझे 3 एकड़ जमीन दिलवाई। इसी जमीन के सहारे मैने अब तक की जिन्दगी बिताई। आज मेरी उम्र 59 साल है। पिछले साल मैने अपने खेत में सोयाबीन की फसल लगाई थी। लेकिन सूखे में सब खत्म हो गई। उसका मुआवजा सिर्फ 3600 रूपए ही मिला।''

फूलवती को अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। वह बताती है कि ''मैने पंचायत सचिव से पेंशन के लिए कहा था, उसके बताया कि पेंशन 60 साल की उम्र में शुरू होती है। अभी मेरी उम्र 59 साल है। इसलिए पेंशन के लिए मुझे एक साल इंतजार करना पड़ेगा। वह कहती है कि ''सूखे के चलते मेरी की हालत बहुत खराब है और आँखों से दिखाई नही देने के बावजूद मुझे 2 किमी पानी लेने जाना पड़ रहा है।'' खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबी रेखा का कार्ड बना है, जिसके माध्यम से फूलवती को 10 किलो अनाज प्राप्त होता है। किन्तु यह अनाज पूरे माह के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जमीन से कोई उपज नहीं होने के कारण वह तेंदूपत्ता तोड़कर एवं अन्य मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही है। फूलवती के पास मनरेगा का जॉब कार्ड तो है, लेकिन आज तक काम नहीं मिला। वह बताती है कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, इसलिए पंचायत मुझे रोजगार नहीं देती।

[11] पीयूसीएल बनाम भारत संघ प्रकरण में सर्वोच्च नयायालय द्वारा दिए गए निर्देश।

सूखे की स्थिति में बुजुर्ग फूलवती के सामने भरण पोषण का गंभीर संकटपैदा हो गया है। इस दशा में पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह उनकी शरीरिक स्थिति के अनुसार मनरेगा में रोजगार दें। साथ ही गांव में कम्युनिटी किचन शुरू करवाने की जरूरत है, ताकि फूलवती और उसकी तरह की अन्य बुजुर्गों को दो समय का भोजन मिल सकें।

खाद्य सुरक्षा से वंचित बच्चे

सरकार के कानून कुछभी हो, लेकिन बेड़ी गांव की सरकारी उचित मूल्य की दुकान में नियम–कायदे सिर्फ दुकानदार के ही चलते हैं। छत्तरपुर जिले के लवकुशनगर ब्लाक में स्थित इस गांव के लोग बताते हैं कि राशन दुकान का डीलर ही तय करता है कि कब और किसे अनाज देना है और किसे नहीं। इस दुकानदार ने पिछले दिनों गांव के अनुसूचित जाति के 14 वर्ष के रवि और 12 वर्षी ज्योति को उनके हिस्से का अनाज इसलिए देने से इंकार कर दिया कि उसके दादाजी का निधन हो चुका है और उसके परिवार में कोई वयस्क सदस्य या अभिभावक नहीं है। राशन दुकानदार का कहना है कि अनाज उसकी को दिया जाएगा जिसके परिवार में वयस्क सदस्य है या बच्चों के अभिभावक मौजूद हैं। पिता को पहले ही खो चुके इन बच्चों को अपनी भूख मिटाने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। बेरोजगारी, जलसंकट और पलायन से जूझ रहे इस गांव में निवास करने वाले 250 परिवारों को सरकारी राशन दुकान से अपने हिस्से का अनाज लेने के लिए अक्सर संघर्ष करना पड़ता है। कई बार दुकानदार द्वारा यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि अभी अनाज नहीं आया। यदि एक माह का अनाज नहीं ले पाए तो दूसरे माह वह अनाज नहीं दिया जाता। ग्रामवासी बताते हैं कि उन्होंने राशन दुकान डीलर के इस व्यवहार कि शिकायत एसडीएम से की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और राशन दुकान डीलर के अपनी मनमर्जी से अनाज वितरण करने से हर माह गांव के करीब एक चौथाई परिवार अपने हक का अनाज नहीं ले पाते।

इस गांव के दो बच्चों ज्योति और रवि को अनाज नहीं देने के राशन दुकान डीलर का फैसला न सिर्फ संवेदनहीन, बल्कि खाद्य सुरक्षा कानून का भी उल्लंघन है। सात साल पहले ज्योति और रवि के पिता रामबाबू की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद इस परिवार में उनकी मां और दादा थे। पिता की मृत्यु के एक साल बाद मां ने 10 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के आदमी से शादी कर ली और वहीं रहने लगी। ज्योति और रवि अपने दादा रामाधार के साथ ही रहने लगे। दादा रामाधार अपने पोते और पोती का अच्छी तरह से पालन पोषण करते थे और उनके भरण पोषण तथा शिक्षा का पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने इन दोनों बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया।

आज से करीब छह महीने पहले इनके दादा रामाधार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने इन बच्चों का ख्याल रखा। उनके दादा के फूड कूपन में इन दोनों बच्चो का नाम था और दादा राशन दुकान से अनाज प्राप्त करते थे। लोग बताते हैं कि दादा की मृत्यु के बाद जब ये दोनों बच्चे फूड्कूपन लेकर राशन दुकानदार के यहां पहुंचे तो उसने डांटकर भगा दिया और कहा कि तुम्हारे परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नही है, इसलिए तुम्हें अनाज नहीं देंगे। गांव के कुछ लोगों ने जब राशन दुकानदार से इन दोनों बच्चों को अनाज देने के लिए कहा तब भी उसने अनाज देने से इंकार कर दिया। अपने दादा की मृत्यु के एक–दो महीने तक ये दोनों बच्चे गांव में ही रहे, और उसके बाद दोनों अपने मां शकुन्तला के पास भवानपुर गांव चले गए। इन बच्चों के साथ ही कई और परिवार भी पिछले तीन–चार महीनों से अपने हक के अनाज से वंचित है। यहां के सत्यदेव पाल बताते हैं कि ''तीन महीने में मुझे अनाज नहीं मिल रहा है। मैं अपना फूड कूपन लेकर जब राशन दुकान पहुंचा तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हार फूड कूपन निरस्त हो चुका है, अब इस पर अनाज नहीं मिलेगा। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि अचानक फूड कूपन कैसे निरस्त हो गया? इसी तरह यहां के प्यारेलाल को भी मार्च माह से अनाज नहीं मिल रहा है। वे कहते हैं कि ''राशन दुकानदार में मुझे भी बताया कि मेरा फूड कूपन निरस्त हो गया।'' गांव में चर्चा करने पर हम पाते हैं कि करीब 10 से 15 परिवार पिछले तीन–चार महीनों से अनाज नहीं ले पा रहे हैं।

गांव में लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके फूड्कूपन क्यों निरस्त कर दिए गए। खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को प्राथमिक सूची में रखा गया है, जिसके अनुसार उन्हें एक रूपए कीमत पर अनाज दिय जाएगा। इसके बावजूद इन समुदायों के कई लोगों को राशन दुकानदार द्वारा फूड कूपन निरस्त होने की बात कह कर बनाकर अनाज नहीं दिया जा रहा है। सूखा और अकाल से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र में फूड कूपन निरस्त होने और पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अनाज से वंचित करने उनका भरण पोषण कठिन हो गया है। ग्राम पंचायत द्वारा भी इस बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जबकि सूखे और अकाल तथा उसके प्रभावों से बचने के लिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। किन्तु खाद्य सुरक्षा जैसे मजबूत कानून होने और सरकार द्वारा अनाज का आबंटन होने के बावजूद इस गांव के लोगों को सरकारी राशन दुकान से अनाज नहीं मिल पा रहा है।

7

राज्य का उत्तरदायित्व और क्रियान्वयन

सूखा और अकाल स्थिति में लोगों को राहत उपलब्ध करवाने तथा भविष्य में अकाल की संभावनाओं को समाप्त करने हेतु योजना बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है। बुंदेलखंड के अकाल को लेकर समाज में व्यापक चर्चा हो रही है। इस सदर्भ में यह देखना जरूरी है कि राज्य ने इस बारे में क्या उपाय किए गए और जमीनी स्तर पर उन उपायों का कितना असर देखा गया? इस संदर्भ में यह देखना भी जरूरी है कि राज्य का प्रशाासनिक तंत्र इन उपयों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में कितना कामयाब हुआ है?

यह स्पष्ट है इस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में वर्ष 2010 में राशि रूपये 118 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। उसके बाद वर्ष 2011 में प्रदेश के उक्त छह जिलों के लिए 100 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई, जिससे 1287 लघु नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन का लक्ष्य था। किन्तु दिसम्बर 2015 तक कुल 89 योजनाओं के कार्य जारी थे और 1198 योजनाओं के कार्य पूरे किए गए।

मध्यप्रदेा में अनुसूचित जाति एवं आदिवासी उपयोजना के अतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए कार्य

.	कार्य	कार्यो की संख्या					
		2013–14		2014–15		2015–16 दिसम्बर माह तक	
		आदिवासी उप योजना	अनुसूचित जाति उप योजना	आदिवासी उप योजना	अनुसूचित जाति उप योजना	आदिवासी उप योजना	अनुसूचि त जाति उप योजना
1	ग्रामीण बसाहटों में हैण्डपंप	4620	1785	3520	2414	2335	1168
2.	ग्रामीण बसाहटों में नल–जल योजना	467	341	920	580	556	247
3.	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	450	70	422	117	92	38
4.	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1706	942	1085	850	532	320
5.	ग्रामीण आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	2185	1154	1328	1138	704	390

स्रोत – लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकीय विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16

बुंदेलखण्ड विकास विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा रूपये 252.47 करोड़ की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था हेतु दी गई। इसके जरिये वर्ष 2017 तक 3.50 लाख से अधिक

जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल मिलने की उम्मीद गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत पेयजल व्यवस्था–अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के बसाहटों में विभाग द्वारा पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति बहुल बसाहटों में निर्धारित लक्ष्य 1600 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के लक्ष्य के विरूद्ध 1453 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य प्रगति पर है।

पिछले 3 वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अतंर्गत व्यय का विवरण

वर्ष	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	योग
	व्यय राशि लाख में		
2013–14	29102.28	19116.62	48218.9
2014–15	26880.60	16384.49	43265.09
2015–16 दिसम्बर माह तक	15841	8788.84	24629.84

स्रोत – लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकीय विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत अध्ययन के पेयजल की समस्या गंभीर रूप से समाने आई है। सर्वेक्षित क्षेत्र के सभी गांव पेयजल से जूझ रहे हैं। यह देखा गया है कि सभी सर्वेक्षित गांव पेयजल के लिए हैण्डपंप, कुए, तालाब एवं नदी–नालों के पानी पर निर्भर है। अध्ययन दल द्वारा किए गए फील्ड भ्रमण एवं अवलोकन में जिन 6 गांवों में नल–जल योजना पाई गई, वहां एक भी गांव में नल–जल की व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। क्योंकि वहां पानी की टंकी नहीं बनाई गई, सिर्फ पाईप लाईन बिछाई गई, वह भी पाईप लाईन भी आधे गांव में ही बिछाई गई। कई गांवों में तो पाईप लाईन जाम होने उसमें पानी प्रवाहित हीं नहीं होता। इस तरह नल–जल योजना पर खर्च तो कर दिया गया, किन्तु उसके लिए गांव स्तर पर क्रियान्वयन की बेहतर योजना नहीं बनाई गई, जिससे कागज पर तो नल–जल योजना कायम है, किन्तु जमीनी स्तर पर आज भी इन गांवों के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं।

मध्यप्रदेश में नल–जल की सच्चाई

मध्यप्रदेश में 143 करोड़ रूपए की लागत से क्रियान्वित की गई नल–जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में 23403 बसाहटों में 30 जून 2016 तक पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रखने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे हासिल करना पीएचई को मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अब तक के क्रियान्वयन में से 3913 नलकूप ही खुदे हैं, 17594 हैण्डपंपों में राईजर पाईप बढ़ाने की जरूरत है।

वर्तमान में 15058 नल जल योजना में से 2592 बंद है। इनके बंद होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है:–

- ❑ 217 नलकूप/ स्रोत असफल है, यानी उनमे पानी नहीं आ रहा है।
- ❑ 271 नल–जल योजनाएं बिजली कटने के कारण बंद है।
- ❑ 133 योजनाएं बिजली का स्थाई कनेक्शन न होने से बंद है।
- ❑ 540 योजनाएं मोटर पंपों की खराबी के कारण बंद है।
- ❑ 349 योजनाएं पाईल पाईन के क्षतिग्रस्त होने से बंद है।
- ❑ 538 योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित नहीं किए जाने से बंद है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 500 से अधिक योजनाएं अन्य छोटे–मोटे कारणों से बंद है। स्रोत : पीपुल्स समाचार, भोपाल, 26 मई 2016

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे है। प्रदेश में आदिवासी बहुल बसाहटों में वर्ष 2015–16 के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 3135 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के विरूद्ध कुल 2983 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये गए हैं, तथा बाकी का काम जारी है।

मध्यप्रदेश में हैण्डपंपों की स्थिति 15 जनवरी 2016 तक

.	विवरण	संख्या
1.	कुल स्थापित हैण्डपम्प	528637
2.	चालू हैण्डपम्प	505951
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	22686
4.	जल स्तर कम होने से ब हैण्ड पम्प	10306
5.	असुधार योग्य	9320
6.	साधारण खराबी से बन्द सुधार योग्य	3060

इस अध्ययन के पिछले अध्यायों में उल्लेख है कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के ज्यादातर लोग पेयजल के लिए हैण्डपंप पर निर्भर है। जबकि यहां इन दिनों बड़ी संख्या में हैण्डपंप बंद हो गए हैं। कई हैण्डपंप तकनीकी खराबी के कारण बंद है, वहीं कई हैण्डपंप जलस्तर नीचे चले जाने के कारण बंद हो गए है। यदि हम मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपंपों की स्थिति का आकलन करें तो 15 जनवरी 2016 को प्रदेश के कुल हैण्डपंपों में से 5 प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से बंद थे। किन्तु जनवरी के बाद बुंदेलखण्ड सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेजी से भूमिगत् जल का स्तर नीचे चला गया, जिससे बंद हैण्डपंपों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

स्थानीय स्वशासन की भूमिका

संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा पंचायतों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों के कियान्वयन के अधिकार एवं दायित्व सौपे गए हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा करीब 150 योजनाओं एवं उप–योजनाओं का कियान्वयन किया जाता है। इसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है, जिनमें शासन द्वारा पंचायतों को राशि आवंटित की जाती है।

राज्य वित्त आयोग – राज्य में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायत राज संस्थाओं को राज्य शासन के कर एवं करेत्तर राजस्व आय की 4 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें विभिन्न 9 बिदुंओ सहित ग्रामों और मजरे टोले में स्वच्छ जल प्रदाय और पेयजल व्यवस्था व निस्तारी तालाबों का जीर्णोद्धार, गहरीकरण और निर्माण भी शामिल है। वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत अनुपूरक सहित कुल राशि रूपये 119000.76 लाख का बजटप्रावधान है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना : 14 वां वित्त आयोग – 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन से वर्ष 2015–16 में 5 वर्षों के लिए कुल राशि 13556.36 करोड़ है। योजनार्तगत राशि भारत सरकार से 2 किश्तों में प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजटप्रावधान राशि रूपये 146361.00 लाख है। प्रथम किस्त की राशि रूपये 73181.00 लाख की जारी स्वीकृति के आधार पर राशि रूपये 73181.00 लाख ग्राम पंचायतों को जारी किये गये। 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन से वर्ष 2015–16 से 5 वर्षों के लिए कुल राशि 13556.36 करोड़है। योजनार्तगत राशि भारत सरकार से 2 किश्तों में प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजटप्रावधान राशि रूपये 146361.00 लाख है। प्रथम किस्त की राशि रूपये 73181.00 लाख की जारी स्वीकृति के आधार पर राशि रूपये 73181.00 लाख ग्राम पंचायतों को जारी किये गये।

पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत मध्यप्रदो की पंचायतों को आवंटित राशि

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	राशि करोड़ रूपये में
1.	2011–12	1401.91
2.	2012–13	1406.34
3.	2013–14	1500.48
4.	2014–15	800.23
5.	2015–16	903.49
	कुल योग	6012.45

स्रोत :पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

पंच परमेश्वर योजना – ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए पंच परमेश्वर योजना संचालित की जा रही है। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा बजट व राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 800.23 करोड़ रूपए एवं वर्ष 2015–16 में 903.49 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। जबकि इससे पूर्व वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक प्रति वर्ष 1400 से 1500 करोड़रूपए आबंटित किए गए। इससे यह बात सामने आती है कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक तो इस राशि में हर साल बढ़ोतरी होती गई, किन्तु वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में इस राशि में कमी आई है। बताया जाता है कि शुरू के तीन सालों में पंचायतों को स्वीकृत एवं आबंटित राशि व्यय नहीं होने से इसमें कमी आई है। यानी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति में एक ओर धनराशि की कमी बताई जाती है, दूसरी ओर योजना की राशि खर्च नहीं होती है। जबकि इस राशि से पंचायत स्वयं योजना बनाकर

गांव के विकास के काम कर सकती है। इससे यह बात स्पष्टहोती है कि योजना का क्रियान्वयन नीति के अनुरूप नहीं हो पा रहा है।

मनरेगा के अंतर्गत कपिलधारा कूप निर्माण एवं मोटरपंप : वर्ष 2010–11 से प्रारंभ कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत निजी भूमि पर निर्मित कूपों से सिंचाई हेतु पानी उद्वहन के लिए प्रथम चरण हेतु 40,000 विद्युत या डीजल पम्प सेटको प्रदाय किये जाने का लक्ष्य था। इसमें प्रत्येक हितग्राही को 20000 रूपए अधिकतम अनुदान दिया जाने का प्रावधान था।

प्रथम चरण में पम्प ऊर्जाकरण हेतु प्राप्त आबंटन राशि 80 करोड़मे से दिसम्बर 2015 तक 77.14 करोड़की राशि व्यय की गई है। जिसके तहत 38648 पम्प स्थापित किए गए हैं। बुंदेलखंडद्वितीय चरण (2013–14 से 2016'–17) कुल 10000 विद्युत एवं डीजल पम्प सेट गांवों में वितरित किए जाने हैं। जिसमें प्रत्येक हितग्राही को 25000 रूपये अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाना लक्षित है। वर्तमान तक कुल 3471 हितग्राहियों का चयन कर, उनमें से 2283 हितग्राहियों के कूप पर पम्प स्थापित किए जा चुके हैं।

पंचायतों के माध्यम से मनरेगा का क्रियान्वयन (2015–2016)

स्पष्ट है कि मनरेगा मध्यप्रदेश के समस्त 51 जिलों में लागू है। मध्यप्रदेश में पंजीकृत जॉबकार्डधारियों की लगभग संख्या 0.79 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 19.14 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुल मिलाकर वर्ष में 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मानव दिवसों को सृजन किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 33 प्रतिशत मानव मानव दिवसों को सृजन किया गया। कुल सृजित मानव दिवसों में से 42 प्रतिशत महिलाओं के लिए रोजगार दिवस सृजित किया गया।

मध्यप्रदेश में मनरेगा : एक नज़र में

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16
1.	जिलों की संख्या जहां योजना लागू है	51
2	जॉब कार्ड की संख्या (करोड़ में)	0.79
3.	कार्य पर उपस्थित परिवार संख्या (लाख में)	19.14
4.	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	640.62
5.	अनुसूचित जाति मानव दिवस (लाख में)	105.33 16 प्रतिशत
6.	अनुसूचित जनजाति मानव दिवस (लाख में)	208.52
7.	महिलाएं–मानव दिवस लाख में	271.76 42 प्रतिशत
8.	100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवार संख्या	53763
9.	अकुशल श्रम हेतु मजदूरी (करोड़ में)	1347.17
10.	पूर्ण कार्य संख्या	154207
11.	कार्य उपलब्ध करवाये गये निःशक्तजनों की संख्या	28441

स्रोत – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16

यहां इलैक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015–16 में अकुशल मजदूरी एफटीओ द्वारा 1347.17 करोड़रूपये एवं अर्धकुशल/कुशल मजदूरी एफटीओ द्वारा 12.71 करोड़ रूपये तथा सामग्री पर 763.49 करोड़ का भुगतान किया गया। इलैक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि 23261.71 करोड़रूपये हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई तथा राशि 206.58 करोड़रूपये लंबित राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाना प्रक्रिया में है।

मनरेगा के संबंध पिछले अध्याय में स्पष्टहै कि बुंदेलखंडकी कई पंचायतो में अकाल की स्थिति में भी रोजगार के काम शुरू नहीं हुए। कई सरपंचों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कामों के प्रस्ताव जनपद पंचायतों भेजने के बाद उन कामों की तकनीकी स्वीकृति समय पर नहीं मिल पाती, जिससे वे गांव में रोजगार के काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस दशा में लोगों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़रहा है।

वाटर शेड विकास–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम(आई.डब्ल्यू. एम.पी) केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम है। जो भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2009 से प्रदेश में प्रारम्भ किया गया है। जुलाई 2015 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को वाटरशेड विकास–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में समाहित कर ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास'' नाम दिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में वर्तमान में रूपये 3395.34 करोड़ की लागत से 28.29 लाख हैक्टयर क्षेत्र में 498 परियोजनांए क्रियान्वित की जा रही है।

स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम : मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से प्रारम्भ है, जो कि सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, बालश्रम परियोजना की शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्र से सहायता प्राप्त मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में क्रियान्वित किया जाता है। लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में गर्म पका हुआ रूचिकर एवं पौष्टिक भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार दिये जाने का प्रावधान है।

प्रारम्भिक शालाओं में विद्यार्थियों को 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12–13 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन और माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20–21 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। भोजन पकाने पर आने वाली लागत राशि प्राथमिक शालाओं में भारत सरकार द्वारा 2.31 तथा राज्य सरकार द्वारा 1.55 सहित कुल राशि 3.86 प्रति विद्यार्थी एवं माध्यमिक शालाओं में भारत सरकार द्वारा 3.47 तथा राज्य सरकार द्वारा 2.31 रूपये प्रति विद्यार्थी इस प्रकार कुल राशि 5.78 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन प्रदाय की जाती है।

वर्ष 2015–16 में मध्यान्ह भोजन : एक नज़र में (31 दिसम्बर 2015 तक)

- कुल 66.11 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन वितरित किया गया।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भोजन पकाने पर आने वाली लागत राशि रूपये 78716.44 लाख लक्ष्य के विरूद्ध जिलों में राशि रूपये 47559.53 लाख व्यय की गई।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खाद्यान्न के उपयोग का वार्षिक लक्ष्य 204089.78 मि. टन के लक्ष्य पर 182618.61 मि.टन का उपयोग किया गया।
- मध्यान्ह भोजन में 2.53 लाख रसोईयों के लक्ष्य के विरूद्ध 2.34 लाख रसोईयों को संलग्न किया गया। वार्षिक लक्ष्य राशि 25349.50 लाख के विरूद्ध जिलों द्वारा राशि 14017.12 लाख का भुगतान किया गया।

स्रोत – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16

सूखा एवं अकाल की स्थिति में राज्य को पहले से संचालित योजनाओं के अलावा नई योजना और नीति लागू करने की जरूरत है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार वह सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा 11030 करोड़ रूपए दिए जाएंगे, इससे 7983 करोड़ रूपए पिछला बाकाया है। यह रकम मनरेगा के तहत है। इसमें 2723 करोड़ रूपए सूखा पीड़ित 10 राज्यों को 50 दिन के अतिरिक्त काम के लिए है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सूखा राहत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 25 लाख किसानों को 4600 करोड़ रूपए फसल बीमा प्रीमियम हेतु देने का वायादा किया गया। किन्तु वर्ष 2016–17 के बजट में इस तरह का कोई प्रावधन नहीं है।

सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी में भी बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित करने के आदेश जारी किए गए। किन्तु जमीनी स्तर पर स्थिति ज्यादा संतोषजनक नहीं देखी गई। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि कई शालाओ में मध्यान्ह भोजन नियमित नहीं मिल रहा है। उपरोक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट कि प्रदेश में पहले से संचालित कई योजनाएं जैसे आदिवासी एवं अनुसूचित जाति उपयोजना, मनरेगा, मध्यान्ह भोजन आदि का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रही है। इस परिस्थिति में सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर एवं पारदर्शी करना होगा।

सूखे से जूझता पठरा गांव

पठरा गांव में सूखे का असर इंसान से लेकर मवेशियों तक सभी पर देखा जा सकता है। किन्तु इस असर के पीछे सिर्फ सूखा ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला तंत्र भी जिम्मेदार है। क्योंकि कई मामलों में सरकारी तंत्र लोगो को राहत पहुंचाने में नाकाम दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सूखा राहत राशि का है। यह वही गांव है, जिसमें कुछ माह पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूखा राहत के मुआवजे की घोषणा की थी। किन्तु मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बावजूद इस गांव में सिर्फ 5 लोगो को ही सूखा राहत की राशि प्राप्त हुई। सैकड़ों लोग राहत राशि का इंतजार करते–करते निराश हो चुके हैं। इसी निराशा के चलते गाव के 200 लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके है। पलायन करने वालों में आधे लोगों पूरे परिवार सहित गांव से बाहर जा चुके हैं।

टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लाक के इस गांव में करीब डेढ़ हजार लोग रहते है, जिसमें पाल, रेकवाल, अहिरवार और आदिवासी समुदाय सहित कुल 300 परिवार शामिल है। यहां के जमनालाल घोष बताते है कि ''सूखे के कारण गांव के किसी भी किसान के खेत में खरीफ की उपज नहीं हुई। कई किसानों ने बीज और खाद के लिए पैसा उधार लिया था, जिस पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। इस दशा में मुख्यमंत्री की घोषण से यह उम्मीद बंधी थीं कि मुआवजे की राशि से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन पटवारी ने ऐसा सर्वे किया कि पांच किसानों को छोड़कर गांव के बाकी सभी किसान राहत से वंचित हो गए।

पठरा गांव में दूसरा सबसे बड़ा संकट पानी का है। गांव की डेढ़ हजार की आबादी के लिए सिर्फ 4 हैण्डपंप ही चालू हालत में है। यदि इनमें से कोई भी हैण्डपंप दो घंटे से ज्यादा पानी नहीं दे पाता। इस दशा में लोग गांव के प्रायवेट नलकूप पर निर्भर हैं। प्रायवेट नलकूप के मालिक नलकूप के समीप बनी होदी में मवेशियों के लिए भी पानी भर देते हैं। किन्तु यह होती पर्याप्त नहीं है और इससे गांव के सभी पशुओं को पानी मिल पाना संभव नहीं है। गांव के इस संकट में बिजली के बिलों ने एक और संकट को जोड़ दिया। लोग बताते हैं कि गांव के आधे से ज्यादा घरों में 15000 या इससे अधिक के बिजली बिल आए हैं, जिसे चुकाना संभव नहीं है। बिजली बिलों के बकाया होने के कारण अप्रैल माह में विद्युत मंडल द्वारा पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों को प्रायवेट ट्यूबवेल से पानी नहीं मिल पाया और मवेशियों के लिए पानी की होद भी नहीं भर पाई। लोगों ने तो हैण्डंपपों एवे गांव से दूर जाकर पीने के पानी की व्यवस्था कर ली, किन्तु मवेशियों को पानी नहीं मिल पाया और प्यास के कारण गांव के दो मवेशियों ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि इस गांव में करीब एक हजार मवेशी है। गांव के ज्यादातर लोगों ने अपने मवेशियों को खुल छोड़ दिया है, ताकि उनके चारे और पानी की व्यवस्था लोगों कों न करनी पड़े।

पानी के साथ ही कई लोगों के सामने भोजन का संकट भी लोगों के सामने कायम है। गांव की विधवा महिला बेनीबाई को पिछले 10 महीनों से सरकारी राशन दुकान से अनाज नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि उनका फूडकूपन निरस्त कर दिया गया है। बेनीबाई को पेंशन भी नहीं मिल रही है।

इस तरह पठरा गांव में उत्पन्न अकाल की स्थिति के पीछे अवर्षा ही एक मात्र कारण नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की लाहपरवारी और योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले तंत्र की नाकामी भी एक बड़ा कारण है।

8

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

बुंदेलखंडके लोग सूखे को पिछले कई सालों से भुगतते आ रहा है। इसने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस अध्ययन के अंतर्गत सूखे की स्थिति, उसके प्रभाव के संदर्भ में सामने आए निष्कर्ष यहां प्रस्तुत है। साथ ही सूखे की स्थिति से निपटने के उपायों के संदर्भ में प्रमुख अनुशंासाओं भी इसमें शामिल किया गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से बुंदेलखंडके जनजीवन पर पड़े सूखे के असर एवं राज्य की भूमिका के संदर्भ में सामने आए प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है:-

आजीविका, खेती और रोजगार का अभाव

- बुंदेलखंड में सूखे का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ा है। इससे किसानों को फसलों की उपज नहीं मिल पाई, वहीं खेतीहर मजदूरों के लिए भरण पोषण का संकटपैदा हो गया है। यहां 83 प्रतिशत गांवों में किसानों की खरीफ की 50 प्रतिशत से अधिक फसल सूखे में नष्टहो गई, जबकि 34 प्रतिशत गांवों की 90 से 100 प्रतिशत खरीफ की फसल नष्टहुई है।
- पिछले कई सालों से पड़ रहे सूखे के कारण लोग खेती से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे खेती की लागत भी एक प्रमुख मुद्दा है। ज्यादातर किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशकों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यही कारण है कि 18 प्रतिशत कृषि भूमि में इस बार खरीफ के मौसम में खेती ही नहीं की गई।
- सूखा राहत के लिए सरकार द्वारा घोषित मुआवजे का न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो पाया। सर्वेक्षित क्षेत्र के कुल 5252 किसानों में से 1240 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। वहीं जिन किसानों को मुआवजा मिला, उनमें 53 प्रतिशत किसानों को 500 रूपए से 1000 रूपए तक का मुआवजा मिला। बंटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले बंटाईदार किसानों मुआवजे से वंचित रहे।
- पशुओं के लिए पानी और चारे का संकटसर्वाधिक गंभीर रूप से समाने आता है। 55 प्रतिशत गांवों में पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं है। इस दशा में क्षेत्र के करीब 91 प्रतिशत लोगों ने अपने पशु खुले छोड़दिए हैं।

- गांव में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र के 55 प्रतिशत लोग रोजगार की तलाश में पलायन पर जा चुके है। पलायन करने वालों में 45 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- सूखा एवं अकालग्रस्त क्षेत्र में मनरेगा भी क्रियान्वयन के मामले में बहुत पीछे है। यहां मनरेगा के अंतर्गत शुरू हुए विभिन्न कार्यो में से सिर्फ 25.1 प्रतिशत कार्य ही पूरे हुए है। शेष काम अधूरे हैं।
- मनेरगा में अंतर्गत 17 प्रतिशत लोगों के पास अपने जॉब कार्ड नहीं है। वहीं कुल जॉब कार्डधारियों में से 52 प्रतिशत को आज तक कोई काम नहीं मिला। जिन लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला, उनमें भी ज्यादातर लोगों का वर्ष में 10 से 20 दिन ही काम किया। मात्र 8 प्रतिशत परिवारों को वर्ष में 90 से 100 दिन का रोजगार मिला।

पेयजल का संकट

- बुंदेलखंड के अधिकांश गांवों में पेयजल के स्रोत या तो सूख चुके हैं या उनसे बहुत कम पानी मिल रहा है। इस दशा में लोगों को गांव के दूर खेतों में बने कुओं से पीने का पानी लाना पड़ रहा है।
- जल स्रोतों पर आबादी का इतना दबाव है कि उनसे पानी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को घंटों लग जाते है। कई हैण्डपंप एवं कुए में तो एक–दो घंटे में पानी खत्म हो जाता है तथा तीन–चार घंटे इंतजार के बाद पानी एकत्र होता है। पानी का संकट उन महिलाओ के लिए ज्यादा संघर्षपूर्ण है, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ज्यादातर महिलाओं को पानी लाने के लिए 1 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
- 71 प्रतिशत गांवों के लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर गांव वे हैं, जिन्हें पीने का पानी कुओं, तालाबों व नदी–नालों से मिल रहा है। स्पष्ट है कि इन जलस्रोतों में कई तरह की गंदगी होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। 35 प्रतिशत गांवों के लोग उल्टी, दस्त व पेंचिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त है।

खाद्य सुरक्षा का अभाव

- बुंदेलखंड क्षेत्र के 29 प्रतिशत परिवार आज खाद्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। यह वे परिवार हैं, जिनके खेतों में अनाज की कोई उपज नहीं हुई। पिछले खरीफ के मौसम में बीज के लिए उधार लिए गए रूपयों पर आज भी लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है।
- गांवों में 4 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जो दिन में दो समय खाना नहीं खा पाते। वे सिर्फ एक वक्त खाना खाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं।
- 43 प्रतिशत परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से अपने हिस्से का अनाज नही मिल पा रहा है।
- पीडीएस से अनाज प्राप्त करने वाले 33 प्रतिशत परिवारों को नियमित अनाज नही मिल रहा है। यानी जब से राशन दुकान से अनाज लेने जाते हैं तो या तो दुकान बंद मिलती है या खुली मिलती है तो दुकानदार द्वारा बताया जाता है कि अभी अनाज नहीं आया। इस तरह लोग बार–बार राशन दुकान के चक्कर लगते।
- पीडीएस से अनाज प्राप्त करने वाले परिवारों में से 76 प्रतिशत परिवारों को पूरा अनाज नहीं मिलता। यानी उन्हें उनकी पात्रता से कम अनाज दिया जाता है।

वंचित तबकों पर असर

- ज्यादातर गांवों में दलित समुदाय के साथ छुआछूत एवं भेदभाव कायम है। 90 प्रतिशत गांवों में दलित समुदाय के लोग गैरदलित समुदाय के साथ पानी नहीं भर सकते। कई गांवों में तो दलित समुदाय के आपने

अलग हैण्डपंप है। उन हैण्डपंपों में जलस्तर नीचे चले जाने एवं बंद हो जाने की स्थिति में दलित समुदाय के सामने पानी का संकटपैदा हो जाता है।

- ❑ 41 प्रतिशता गांवों में महिलाओं को 2 से तीन किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसका उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन गांवों की ज्यादातर महिलाएं कमरदर्द एवं हाथ पैर दर्द जैसे बीमारियां से पीड़ित है। साथ ही पानी भरने में महिलाओं का पूरा दिन बीत जाता है।
- ❑ पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या दलित एवं आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों ने परिवार सहित पलायन किया है। पलायन के कारण उन्हें अत्यन्त सुविधाजनक स्थिति में जीवन जीना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं की सेहत, पोषण और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं पलायनग्रस्त परिवारों के बच्चे भी शिक्षा एवं पोषण जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित है।

अनुशंसाएं

प्रदेश में सूखे की स्थिति और उसकी घोषणा प्रदेश सरकार के लिए चेहरा छुपाने के समान है। यह बात उच्चतम न्यायालय में दाखिल स्वराज अभियान की जनहित याचिका में कही गई है। यह स्पष्टहै कि सूखे जैसी स्थिति में सबसे ज्यादा वंचित व उपेक्षित समुदाय के लोगों, विकलांग, एकल महिला और बच्चों पर असर होता है। इसलिए राज्य को इनकी सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।

मध्यप्रदेश में सूखे के हमारे अनुभव और विशेष तौर पर बुंदेलखंडमें सूखे की स्थिति को देखते हुए हम राज्य सरकार को निम्न अनुशंसाएं प्रस्तुत है–

1. वैकल्पिक फसल व आकस्मिक योजना बनाई जाए

1.1 मध्यप्रदेश में 70 प्रतिशत वर्षा दक्षिण–पश्चिमी मानसून से होती है और पिछले डेढ़ दशक में इसमें कमी रही है। सूखे की घोषणा अक्टूबर माह में हो जानी चाहिए और साथ ही कृषि विभाग द्वारा कम वर्षा की स्थिति में फसल विविधता और वैकल्पिक फसलों की खेती के सबंध में दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिए। साथ ही इन दिशा–निर्देशों का प्रसार–प्रचार प्रदेश स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, साथ ही वैकल्पिक बीजों व अन्य लागत की खरीद भी सुनिश्चित की जाना चाहिए।

1.2 सूखे का त्वरित मूल्यांकन कर इसकी अनुशांसए ग्राम, तहसील व जिला स्तर पर 1 माह के भीतर की जाएं।

1.3 राज्य सुनिश्चित करें कि 2015 में सूखा राहत, फसल लागत अग्रिम राशि जो क्षतिपूर्ति/मुआवजा के रूपए (31 मार्च 2016 तक) आंबट्टि राशि का वस्तुस्थिति प्रतिवेदन(स्टेट्स रिर्पोट) सार्वजनिक की जावे।

1.4 राज्य सरकार, सूखे की घोषणा के तत्काल उपरांत भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राहत राशि(समुचित राशि, समय सीमा में, पारदर्शी, और भ्रष्टाचार रहित) की मांग कर आंबटन सुनिश्चित करे।

2. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आगामी 6 माह या जब तक सूखा का प्रभाव है, तक खाद्य सुरक्षा (ग्रामीण व शहरी) सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसाए :

2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की मंशा के अनुसार (5 किग्रा प्रतिव्यक्ति, प्रतिमाह) को उनके परिवार व वर्ग की आवश्यकतानुसार देने का प्रावधान है को, तात्कालीन परिस्थितियों में स्थगित करते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के सभी सूखा पीड़ित परिवार को को खाद्यान्न उपलबध कराया जाए। इसके लिए पात्रता पर्ची, फूडकूपन, आधार नंबर या किसी भी तरह के दस्तावेज अनिवार्य न हो।

2.2 2 किलो दाल प्रति परिवार प्रतिमाह या 400 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 30 रूपये प्रतिकिलो की दर तथा 1 लीटर खाद्य तेल प्रति परिवार या 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 25 रूपये लीटर की दर सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करावाया जाये।

2.3 इसके अतिरिक्त एक अण्डा (यदि अण्डा न हो तो 200 ग्राम दूध) और प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) – मध्यान्ह भोजन योजना के तहत ग्रामीण स्कूलों में उपलब्ध कराया जावे व मध्यान्ह भोजन योजना को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी संचालित किया जावे।

2.4 पलायनग्रस्त परिवारों के लिए प्रदेश में समुचित मात्रा में पोषाहार की व्यवस्था किए जाए। इसके लिए आंकड़े पंचायत स्तर पर संधारित पलायन रजिस्टर व उन शहरों के जिलाअधिकारी जहां पर परिवार पलायन कर जा रहा है, उनके साथ जानकारी साझा की जावे, साथ ही अर्न्तराज्यीय पलायन के लिए केन्द्रीय निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए।

2.5 सूखे के कारण सीमान्त व छोटेकिसान, कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर कर्ज चुकाने के लिए पलायन करते हैं, साथ है कर्ज न चुकाने की स्थिति में बंधुआ मजदूर बनते हैं जमीन भी स्थानीय साहूकार द्वारा हड़प ली जाती है। राज्य सरकार द्वारा इनके मुआवजे व पुर्नवास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सक्रिय क्रियान्वयन हो

3.1 मनरेगा, मांग आधारित अधिनियम है, इसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना एक कानूनी अधिकार है, अतएव इसकी बजटीय सीमाएं नहीं होना चाहिए। सूखे के समय व क्षेत्र में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त दिनों का रोजगार आंबटन करने व उसकी कठोर निगरानी करने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जिसमें ये सुनिश्चित हो कि सबसे वंचित परिवारों को न केवल काम मिले साथ ही मजदूरी का भुगतान त्वरित तरीके से तत्काल किया जावे, जिससे कि परिवार के समक्ष खाद्यान्न संकटउत्पन्न न हो और पंचायत की भूमिका व भागीदारी होनी चाहिए।

3.2 हमारा शुरूआती विश्लेषण यह दर्शाता है कि बजटका उपयोग बहुत अधिक नहीं है (बुर्देलखण्डमें यह 2 से 30 प्रतिश्त के बीच में है।) औसतन काम के दिन 30 से 40 है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि सभी परिवारों को 150 दिन का काम मिले। साथ ही विकंलागों, वृद्धों, एकल महिला सहित अन्य प्रकार से वंचितता ग्रस्त लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। परिवार की आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक लोगों को काम दिया जावे, गर्भवती और धात्री महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए साथ ही कार्यस्थल पर बच्चों के लिए पालनाघर का प्रावधान होना चाहिए।

3.3 ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टिसे राज्य सरकार द्वारा समुचित बजटप्रावधान रखा जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिनों का रोजगार मिल सके।

3.4 मनरेगा के तहत प्राथमिक काम जल सोतों की मरम्मत व संवर्धन के लिए होना चाहिए। जल व मिट्टी संरक्षण की संरचनाएं, छोटेसिंचाई परियोजनाएं, चेक डेम, खेत तालाब और वर्षा जल संग्रहण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्राम सभा को मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही जैसे ही लोगों द्वारा काम की मांग की जावे, उन्हें बिना किसी रूकावटके मनरेगा के तहत गांव में ही काम मिलना चाहिए।

3.5 मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए लोगों की इच्छानुसार चुनाव का अधिकार दिया जाना चाहिए कि पैसा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर किस रूप में चाहिए(नगद, खाद्यान्न, बैंक खाते के माध्यम से)।

3.6 मनरेगा के कामों के तहत सरकार को श्रमिक शिविर लगाने चाहिए, जिसमें सामुदायिक रसोई व शौच व्यवस्था भी हो, जिससे कि लोगों का पलायन रूक सके।

3.7 मनरेगा के तहत जारी काम मशीनों की बजाय श्रमिकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि उन्हें सूखे के दौरान अधिकतम रोजगार उपलब्ध हो सके।

4. पशुओं के लिए चारा शिविर

4.1 राज्य सरकार को चारा बैंक की स्थापना केन्द्रीय पशु सहयोगी व पशुचारा आहार विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप करनी चाहिए व केन्द्र सरकार की सलाह व उपायों को चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ध्यान मे रखना चाहिए। केन्द्र सरकार को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि चारा बैंकों को जो आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, उस पर आर्थिक बाध्यता अधिरोपित न की जावे। चारा शिविरों का आयोजन ग्राम या ग्रामों के समूह के आधार पर करना चाहिए।

4.2 राज्य को चारा, किसानों, वनविभाग सहित अन्य स्रोतों से क्रय करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किन्हीं भी परिस्थितियों में सूखे के चलते पशुओं की मृत्यु न हो।

4.3 राज्य सरकार मनरेगा या अन्य योजनाओं के तहत समुचित प्रावधान करते हुए गांवों में पशु चारा शिविरों का लगाया जाना सुनिश्चित करें।

5. कृषि ऋण व कर्ज – राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचित व अनअधिसूचित बैंक कृषि ऋण व अन्य बकाया ऋणों का पुर्नगठन इस रूप में करें कि सूखा प्रवाभित किसानों को–

5.1 सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के सभी बकाया ऋणों की वसूली पर रोक, इसमें वो ऋण भी शामिल है, जिनकी वसूली सूखे की दौरान भी प्रस्तावित है।

5.2 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छेटी अवधि के ऋण की मूल राशि व उसके ब्याज को, अवधि कर्ज(टर्म लोन) में परिवर्तित किया जाना चाहिए। लगातार सूखे की स्थिति में इसे लम्बी अवधि के लोन में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

5.3 सूखा प्रभावित किसानों को साधारण ब्याज का लाभ दिया जाना चाहिए। सूखे अवधि के दौरान स्थगन की समय सीमा में भी साधारण ब्याज का लाभ दिया जाना चाहिए।

5.4 नये ऋण की दशा में सूखा प्रभावित किसानों के द्वारा लिए गए पुराने ऋण व उनके ब्याज को, नए ऋणों में किसी भी हालत में शामिल नही किया जावे, साथ ही इसके लिए वैयक्तिक गारंटी का प्रावधान समाप्त किया जावे।

5.5 जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनका कर्ज की पूरी राशि पुराने हिसाब से माफ की जावे। साथ ही उनके परिवारों का समुचित पुर्नवास का प्रावधान करते हुए उसे सुनिश्चित किया जावे।

5.6 गैर–संस्थागत (साहूकारों व निजी व्यक्तियों द्वारा) ऋणों का मूल्यांकन, ऋण/कर्ज वसूली के लिए संसाधनों (जमीन, पशुधन, कृषि उपकरण आदि) पर कब्जा, बंधुआ मजदूरी व अन्य प्रकार प्रताड़ना के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कठोर दण्डका प्रावधान किया जावे।

6. जल–स्रोतों का संवर्धन

6.1 राज्य में प्रत्यैक जिले के जल संसाधनों की पहचान एवं उससे जुड़े आंकड़े संकलित कर अनुमानित पानी (पेयजल, पशुओं, कृषि सहित अन्य कार्यो के लिए) की आवश्यकता का आकलन कर उसका सुनिश्चित करें।

6.2 मौजूदा जलप्रदाय की योजनाओं का सुधार और संवर्धन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें हैण्डपम्प, कुंए, पाइप वाटर सप्लाई और बिजली पम्प शामिल हैं। पारम्परिक जल संग्रहण संरचनाओं का सवंर्धन, गहरीकरण व गाद निकालने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6.3 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें, कि प्रत्यैक जिले की पंचायत स्तर पर जलप्रदाय की योजना में पेयजल को

प्राथमिकता देते हुए बनाई जाये, साथ ही पेयजल प्रबंधन हेतु समय–समय पर आकस्मिक योजना बनाई जावे।

7. ऐच्छिक सहायता

7.1 पलायन कर चुके कई परिवार अपने पीछे वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को पीछे छोड़ गए हैं। इनके लिए अनुतोषिक प्रावधानों की अनुशंसा की जाती है। इनमें समाज के वंचित, विकलांग व्यक्ति सहित काम करने में असक्षम व्यक्ति भी शामिल है।

7.2 राज्य सरकार को सूखे से प्रभावित सभी जिलों में एक सर्वे कराना चाहिए, जिसमें अनुतोषिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों व परिवारों को चिन्हित किया जा सके (ग्रमसभा व ग्राम पंचायतों की भागीदारी के साथ)। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण नगद, खाद्यान्न पर्ची के रूप में किया जाना चाहिए।

7.3 राज्य सरकार सार्वभौमिक रूप से बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पोषाहार सुनिश्चित करें, बजाए कि इसके कि कुपोषित बच्चों को शिशु राहत कूपन वितरित करे।

8. फसल क्षति व मुआवजा –यह देखा गया है कि सूखे से फसल क्षति का मुआवजा कम मिलने के कारण किसानों पर कर्ज और बढ़ा है उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। बुंदेलखंड में 18 प्रतिश्त खेती की जमीन पर खरीफ में बुबाई नहीं की गई। जिसका अर्थ यह भी निकलता है कि किसानों ने ''कर्ज की खेती'' की बजाए जमीन पड़ती/परती छोड़ना उचित समझा, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अनुशंसाएं –

8.1 किसानों को जो मुआवजा दिया गया है, वह राज्य सरकार के दिशा निर्देश व राजस्व परिपत्र के अनुरूप नहीं है। ज्यादातर लोगों को जो राशि मुआवजा में मिली है वो राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों से काफी कम है, इसके कारणों की जांच करते हुए शेष राहत राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8.2 ज्यादातर बीजों व कृषि उपकरणों की खरीद निजी कंपनियों से होती है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर यह आवश्यकता है कि फसल मुआवजे की राशि को बढ़ाया जावे।

8.3 राज्य सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा राशि समय पर मिलनी चाहिए, साथ ही सूखे की प्राकृतिक परिस्थितियों का आकलन ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या उनके समूह के आधार पर किया जाना चाहिए।

8.4 खेतिहर मजदूर व बंटाईदार व सिकमी (एक साल के लिए) किसानों के लिए मुआवजा गणना प्रणाली में विशेष ध्यान दलित, आदिवासी व वंचित समुदाय के किसानों को केन्द्र में रखकर प्रणाली को दुरूस्त कर मुआवजा राशि सुनिश्चित की जावे।

9. स्वास्थय और स्वच्छता

9.1 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार को चाहिए कि वे लगातार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर प्रभावित लोगों को दवाईयों सहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए।

9.2 राज्य सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, एकल वृद्धों (देखभाल विहीन), विकलांगों के स्वास्थय आवश्यकताओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें।

10. दलित–आदिवासी समुदाय का उत्पीड़न संरक्षण

10.1 जलप्रदाय के दौरान जातिगत भेदभव, छूआछूत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनकी जल आवश्कताओं की पूर्ति बिना किसी भेदभाव, छूआछूत के सुनिश्चित करे।

10.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त करते समय में दलित, आदिवासी, वंचितों सहित महिलाओं के उत्पीड़न व अत्याचार के प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेते हुए संबंधित दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

10.3 राज्य सरकारें विशेष क्षेत्र अनुदान योजना व आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति विकास उपयोजना के अंतर्गत संसाधनों को सूखे के समय वंचित समुदायों (समुदाय से चर्चा कर) के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

अन्य वृहद मुद्दे

कई सारे ऐसे विस्तारित मुद्दे हैं ,जिन पर राज्य सरकार और लोगों व स्वैच्छिक संस्थाओं के मध्य चर्चा की आवश्यकता है –

- ❑ नकद फसलों पर बढ़ती निर्भरता, और कृषि क्षेत्रों में निजी कंपनियों का बढ़ता हस्तक्षेप, निजीकरण के बारे में फिर से विचार करना आवश्यक है–पूरा कृषि क्षेत्र घाटे का सौदा बन गया है, साथ ही पिछले 2 दशकों में किसान खेती छोड़चुके हैं या छेड़रहे हैं।
- ❑ जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे, फसल चक्र और कम बारिश से जुड़े आयामों को भी वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीके से समझने की आवश्यकता है।
- ❑ सूखा की गणना पुरातन अनावरी और पेशावरी पद्धति पर आधारित है, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को सूखे की गणना व घोषणा के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- ❑ राज्य की प्रतिक्रिया और विभिन्न विभागों का अभिसरण स्पष्ट परिभाषित व परिलक्षित होना चाहिए। संसाधनों के वितरण से ज्यादा उनका पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित उपयोग वंचितों को केन्द्र में रखकर किया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों में सूखा और राहत

हिन्दुस्तान टाइम्स

1. सन् 1970 से किसानों की कमाई 19 गुना बढी(न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार) पर सरकारी कर्मचारियों की कमाई 120 से 150 गुना बढी है।
2. 18687 किसान पिछले 15 वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं। प्रतिदिन औसतन 3 किसान आत्म हत्या कर रहे है। (राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार)
3. पिछले 15 वर्षो के दौरान 72 प्रतिश्त बारिश में गिरावट दर्ज की गई है।

हिन्दुस्तान टाइम्स(26 मई 2016)

1. प्रदूषित पानी पीने के कारण 600 लोग बीमार पड़े, जिसमें मुरैना जिले के 60 गांव में 100 लोग उल्टी व दस्त के शिकार हुए।
2. सागर के शासकीय अस्पताल में 1500 मरीज भर्ती हैं जिनमे लगभग 70 प्रतिशत उल्टी दस्त के शिकार हैं।
3. जिला टीकमगढ़के गांव में 4500 आबादीं के मध्य पेयजल व निस्तार हेतु कुल 17 हैण्डपम्प है।
4. हरदा के ग्रामीण इलाके में ट्यूबबेल के गंदे पानी के कारण कुछ लोग मर गए और दर्जनों बीमार हो गए।
5. सिवनी के घुसौर में 8 लोग मर गए और 100 बीमार पड़ गए–गदें पानी के कारण डायरिया से।

पत्रिका(25 अप्रैल 2016) –
(जल संसाधन)

1. 22, 686 हैण्डपम्प खराब
2. 10306 हैण्ड पम्प सही नहीं हो सकते।
3. 15058 में से 2436 नल जल योजनाएं संचालित
4. 9320 हैण्ड पम्प भू–जल स्तर में कमी के चलते बन्द।

पीपुल्स समाचार
(25 अप्रैल 2016)
नदियां सूख गई हैं–
हिरण– सिहोरा, पाटन, मझौली
सीप – श्योपुर
पार्वती – राजगढ़
अनरबड़, आरंरूटा– अलीराजपुर
सुक्कड– झाबुआ
बेतबा –रायसेन

पीपुल्स समाचार (24 अप्रैल 2016)

1. 91 जलाशयों के जलस्तर में 22 प्रतिश्त कमी।

नई दुनिया(20 अप्रैल 2016)

1. 10 राज्यों के 33 करोड़लोग सूखे की चपेटमें।
2. 38,500 करोड़मनरेगा में से 19555 जारी पर इस वर्ष केवल 7300 (12000 पिछले साल का बकाया) कुल मांग – 78,683 करोड़मनरेगा के तहत
3. 6 लाख 50 हजार करोड़का नुकसान प्रति

हिन्दुस्तान टाइम्स(19 मई 2016)

1. गामीण विकास मंत्रालय ने 87765 करोड़बजटआबंटित किया।
2. प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 20 हजार करोड़का आबंटन(2019 तक)

टाइम्स आफ इण्डिया(28 अप्रैल 2016)

केन–बेतवा नदी जोडो परियोजना के लिए 17700 करोड़का आबंटन।
6 सदस्यीय समिति का गठन
635 लाख रूपये सिंचाई के लिए , 14 लाख लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था
6000 हैक्टयर जमीन की आवश्यकता है जिसमें 335 का रिसेटमेंट

दैनिक भास्कर (25 मई 2016)

1. 17 लाख किसानों की खरीफ की फसल खराब हुई, बारिश के बाद फसल बीमा की राशि मिलेगी। जिसके लिए सरकार ने किए 3000 करोड़रूपये का प्रावधान।
2. 10.25 लाख किसानों ने दीर्घकालीन और सीमित अवधि के कर्ज लिए। जिसके लिए 733 करोड़अंशदान की आवश्कता व मांग थी, जिसमें से कुल 88 करोड़ही प्राप्त(जमा)